evidence or investigate deeper into the matter. I do not know. That is a matter in which a time-frame cannot be indicated.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Before the end of the Session would you make a statement?

SHRI K. C. PANT: I cannot promise a statement towards the end of the Session. It all depends on the progress of the inquiry. Then, the question of requesting the Swedish Government...

SHRI JASWANT SINGH: The second part of my question — once it is completed, will you take Parliament into confidence?

SHRI K. C. PANT: We will do what is normally done. So far as Mr. Gopalsamy's question is concerned, we are relying on our own agencies and we have confidence in them.

SHORT DURATION DISCUSSION

II. Recent incidents of atrocities on harijans and tribals in some parts of the country

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: (मध्य प्रदेश) उप सभापति महोदय, देश के कुछ भागों में हरिजनों तथा आदिवासियों पर अत्याचार की जो हाल में घटनाएं हुई हैं उन पर चर्चा आरम्भ करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस चर्चा की सूचना मुझे छोड़कर 40 अन्य सदस्यों ने दी है। इस का अर्थ यह है कि सम्मानित सदन के सदस्य देश के भिन्न-भिन्न भागों में हरिजनों और वनवासियों के साथ जो कुछ हो रहा है, उस से चिंतित हैं और इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों, इन्हें किस तरह से रोका जाए, इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहेंगे और सरकार पर दबाव भी डालना चाहेंगे। कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह चर्चा एक रसम अदायगी हो गई है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Would you like to continue after lunch?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, मैं लच के बाद बोलूंगा।

उप सभापति : वही अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी कंटीन्यूटी रहेगी।

The House stands adjourned for lunch and will meet at 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at twenty-five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-five minutes past two of the Clock. **[The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai)** in the Chair.]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Yes, Mr. Vajpayee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, जब-जब हम सदन में हरिजनों और वनवासियों के बारे में, जिन्हें हम परिगणित जाति और परिगणित जनजातियों के रूप में जानते हैं, चर्चा होती है तो इस बात का उल्लेख किया जाता है कि उन पर होने वाले अत्याचारों में कमी होने के बजाय वृद्धि हो गयी है। सरकारी आंकड़े भी इस बात को पुष्ट करते हैं। मेरे पास 1986-87 के आंकड़े हैं। मैं चाहता था कि 1987 के आंकड़े भी उपलब्ध हों। हम 1988 में रह रहे हैं, लेकिन आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया भी शायद धीमी है जैसे कि अत्याचारों को रोकने में शासन की प्रक्रिया धीमी है।

वर्ष 1985 में परिगणित जातियों के विरुद्ध ज्यादतियों के पुलिस ने जो मामले दर्ज किए, उन की संख्या 15,373 थी। 1986 में यह संख्या और बढ़ गयी। 1986 और 87 के सितम्बर-अक्तूबर के बीच के जो आंकड़े हैं उनसे लगता है कि इस संख्या में और भी वृद्धि हो गयी है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

जहां तक परिगणित जन-जातियों का संबंध है, जो मामले दर्ज किए गए वे 1985 में 4055 थे, 1986 में थोड़ी-सी संख्या घटी है, लेकिन 1987 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

1986 के आंकड़ों के अनुसार 524 हरिजन मारे गए, 661 पर बलात्कार हुआ और जिन्हें अग्निकांड का सामना करना पड़ा, उनकी संख्या 950 थी । जहां तक परिगणित जन-जातियों का सम्बन्ध है, जिनकी हत्या हुई उनकी संख्या 136 थी, बलात्कार के 231 मामले हुए और 221 मामलों में वनवासियों को अग्निकांड का शिकार बनाया गया ।

आश्चर्य की बात यह है कि जितने केस रजिस्टर किए जाते है उससे आधे मामलों में भी चार्जशीट नहीं दी जाती है, जितने मामलों में चार्जशीट दी जाती है उससे भी कम मामलों में मुकदमें चलाए जाते हैं । जो मामले पड़े हुए है, उनकी संख्या 36865 है ।

महोदय, मैंने कुछ और भी आंकड़े इकट्ठे किए हैं । 1985 में प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ था । वह एक अच्छा कानून था । लेकिन उसके अंतर्गत जो मुकदमे चलते है और जितने मुकदमों की पैरवी होती है, पता नही मुकदमें चलाने वाले, उनकी परवी करने वाले अपने कर्त्तव्य का ठीक तरह से पालन क्यों नहीं करते ? 1980 में जो एक्यूटल्स हुए हैं, वह है 69.37 फीसदी 1981 में यह संख्या बढ़ गयी 82.54 फीसदी, 1982 में इस संख्या में और भी वृद्धि हो गयी 89.40 फीसदी । इतने लोग कैसे छूट जाते है ? क्या कानून में कमी है या जो मामले बनाए जाते है वे पुख्ता नहीं है, या रस्म-अदायगी के तौर पर मामले दाखिल कर दिए जाते हैं लेकिन उन मामलों को सिद्ध करने में पुलिस और प्रशासन रुचि नहीं लेता । हो सकता है कि सामाजिक दबाव के कारण गवाह भी आगे न आते हों लेकिन अगर गवाहों को संरक्षण दिया जाएगा तो वे आगे आएंगे । लेकिन, मैं देख रहा हूं कि जिस उद्येश्य को लेकर प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट एक्ट-1985 बना था वह उद्देश्य विफल हो गया है । मैं मंत्री महोदया से कहूंगा कि चर्चा का जब उत्तर दें तो उस संबंध में सारे आंकड़े रखें ।

जब यह कानून बना तब यह आशा की गई थी कि इस कानून के कार्यान्वियन के संबंध में प्रतिवर्ष सदन के पटल पर एक रिपोर्ट रखी जाएगी, संसद् को उस रिपोर्ट पर चर्चा करने का मौका मिलेगा लेकिन मैं देख रहा हू कि कोई रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई । एक शैड्यूल्ड कास्ट के कमिश्नर हैं, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के भी कमिश्नर हैं । मैं देख रहा हूं कि उनके आयोग को भी, उनके पद का भी अधिकाधिक प्रभावहीन बनाया जा रहा है ।

महोदय, एक आध जब घटना हो जाती है तो सारा देश थोड़ी देर के लिए स्तम्भित हो जाता है, जैसे हम चौंक कर जाग जाते हैं, जैसे हमोर ऊपर बिजली गिरती है । अभी जहानाबाद में 16 जून को कत्लेआम हुआ । यह ज्यादती और अत्याचार का इक्का-दुक्का मामला नहीं है । 19 हरिजन मौत के घाट उतार दिए गए नौनहिनगवा गांव में । मारने वालों ने मर्दों को ढूंढ़ ढूंढ़कर मारा । छः मास का बच्चा भी नहीं छोड़ा । एक लड़की, छोटी लड़की, जो लड़के के कपड़े पहने थी, वह भी मारी गई । औरतें क्यों छोड़ दी गई ? बिहार में अन्यत्र जो हत्याकाण्ड होते हैं उनमें औरतों को भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जहानाबाद के हत्याकाण्ड में औरतें छोड़ दी गई । मैंने पूछा एसा क्यों हुआ ? जवाब मिला कि जो हत्या करने आए थे वे चाहते थे कि मर्द मार दिए जाएं और उनकी औरतें फिर छाती कूट-कूटकर रोएं और

हम उनका रोना देखें । कितनी विभत्सता है । क्या यह पाश्विक वृत्ति नहीं है ? क्या यह सभ्य समाज को शोभा देने वाली चीज़ है ? क्या सचमुच में हम सभ्य हैं ? ये प्रश्न बार-बार खड़े होते हैं और यह पहला हत्याकाण्ड नहीं है ।

मुझे याद है कि दिहुली और सादूपुर का हत्याकाण्ड, वह उत्तर प्रदेश की घटना थी, 1980–81 की बात थी । यह बात अलग है कि उस समय जो उजड़े थे, मारे गए थे, उन्हें पूरी तरह से बसाया भी नहीं गया है, उन्हें जो आश्वासन दिए गए थे उनका पूरा पालन नहीं हुआ है ।

बिहार में तो हत्याकाण्डों का एक दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला है । बेलची काण्ड को बहुत उछाला गया । इन हत्याकाण्डों से राजनीति की जाती है । एक दल दूसरे दल को दोष देने की कला दिखा सकता है, लेकिन यह दल का मामला नहीं है ।

15 करोड़ के करीब हरिजनों की आबादी, शताब्दियों से पीड़ित-दलित वर्ग, आजादी के 40 साल बाद भी इन निर्मम अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, क्या हम सब गुनहगार नहीं हैं ? क्या सारे देश का माथा इससे नीचा नहीं होता ? हम भले ही प्राचीनतम सभ्यता और महानतम संस्कृति के उत्तराधिकारी होने का दावा करें मगर ये दावे खोखले साबित होते है जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं । मैं इस विवाद में राजनीति नही लाना चाहता । लेकिन ये घटनाएं हमें झकझोरनी चाहिए । मैं और भी आंकड़े उपलब्ध कर सकता हूं । बिहार कोई अलग नहीं है । बिहार के साथ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान है और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश है । तमिलनाडु मे भी अचानक हरिजनों के साथ होने वाली घटनाओं में वृद्धि हो गयी है । केरल और कर्नाटक प्रगतिशील राज्य माने जाते हैं मगर वहां भी इक्की-दुक्की ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें हरिजन नौजवानों को मनुष्य का मैला खाने के लिए विवश किया जाता रहा ।

हरिजन दो तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं । एक है समाजिक भेदभाव और दूसरा आर्थिक शोषण । अत्याचारों के भी दो पहलू हैं । एक अत्याचार है जो शरीर पर घाव लगाता है लेकिन दूसरी ज्यादती ऐसी है जो मन पर चोट लगाती है, आत्मा पर घाव लगाती है । राजस्थान के नाथद्वारा में जो कुछ हुआ है वह मन को मारने वाली चोट है । वह आत्मा पर लगाने वाला घाव है । किसी मन्दिर के दरवाजे किसी हरिजन के लिए बंद क्यों होने चाहिएं ? भगवान और भक्त के बीच में किसी को, क्यों आना चाहिए ? कानून ने अस्पृश्यता खत्म कर दी । इससे पहले संविधान ने उसकी समाप्ति की घोषणा की थी । अब वह दंडनीय अपराध है । सार्वजनिक मन्दिर, सार्वजनिक कुएं सब के लिए खोल दिये गये । फिर भी मन्दिरों में हरिजनों को जाने से रोका जाता है । नाथद्वारा के लिए आड़ ली जा रही है कि वह एक विशेष सम्प्रदाय का मन्दिर है और इस लिए उस मन्दिर की मर्यादा का पालन होना चाहिए । मैं देख रहा था प्राटेक्शन आफ सिविल लिबर्टीज एक्ट । उसमें हिन्दू धर्म के अन्तर्गत सभी सम्प्रदाय, सभी मत-मतान्तर शामिल किये गये हैं । कुछ तो उनमें से गिनाये भी गये हैं । यह कहा गया है कि इन मन्दिरों के द्वार हिन्दू मात्र के लिए खुले होने चाहिएं । जो धारा 3 है उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहता हूं ।

"EXPLANATION: For the purpose of this Section and Section 4, persons professing Buddhist, Sikh or Jain religion or persons professing the Hindu religion in any of its forms of developments including Virashaivas, Lingayats, Adivasis, followers of Brahmo, Prarthana, Arya Samaj and the Swaminarayan Sampraday shall be deemed to be Hindus."

किसी को यह कह कर भगवान के कपाट बंद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

वह मन्दिर एक विशेष सम्प्रदाय का है। अगर मर्यादा का नियम है तो सब के लिए लागू होना चाहिए। अगर श्रीनाथ मन्दिर में जाने वाले हर व्यक्ति के लिए कंठी अनिवार्य कर दी जाये तो वह बात अलग है। मैं वहां गया था और मेरी कंठी किसी ने देखी। शायद मेरा कंठ देखा और मुझे जाने दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मुझे भी जाने दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपका भी कंठ देखा होगा। अब मन्दिरों में हरिजनों को रोकने के लिये नया तर्क दिया जा रहा है। यह ऐसा कदम है जो आत्मा पर घाव करता है। अगर मैं हरिजन होता तो इस स्थिति के साथ समझौता नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए।

जिन्होंने सैकड़ों सालों तक समझौता किया है उनके प्रति हमें आभारी होना चाहिए, उनका अभिनन्दन करना चाहिए। हमने उनके लिए सार्वजनिक स्थानों के दरवाजे बन्द कर दिए, मगर उन्होंने हिन्दू धर्म नही छोड़ा। आज हम उनके लिए भगवान के दरवाजे भी बंद करें तो उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस दिशा में जन-जागरण के लिए, जनता को प्रबुद्ध करने के लिए शिक्षित करने के लिए, सरकार ने क्या किया है ? क्या इसमें सरकार के प्रचार साधनों का भी कोई योगदान है ? क्या टी०वी० के द्वारा मानसिकता को बदलने की दिशा में कदम नही उठाया जा सकता है ?

मुझे खुशी है कि पुरी के शंकराचार्य ने हरिजनों के संबंध में जो कुछ कहा उसका विरोध हुआ और कई धर्माचार्य बोले। सनातन धर्म सभा ने उसका विरोध किया, आर्य समाज ने उसका विरोध किया। विश्व हिन्दू परिषद् ने वक्तव्य दिया कि यह दृष्टिकोण गलत है। और भी कई संस्थाएं मैदान में आई। लेकिन श्रीनाथ जी के मंदिर के कपाट अभी खुले नहीं है। मैं यह नहीं चाहता हूं कि वहां पर कोई प्रदर्शन किया जाय। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि वहां धक्कम-धक्का हो, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हू कि दरवाजे खोले जायें। आजादी के पहले अस्पृश्यता के खिलाफ, जन्म के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ, स्वतंत्रता आन्दोलन के अभिन्न अंग के रूप में एक आन्दोलन चला था। महात्मा गांधी ने हरिजनों को हिन्दू समाज का अभिन्न अंग बनाये रखने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। लेकिन अब हम उन्हें अलग करते हैं तो अपने कर्मों से अलग करते हैं। अब कोई जन जागरण नही हो रहा है, हर बात वोट की दृष्टि से देखी जाने लगी है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

महोदय, हरिजनों की समस्या, जैसा मैंने कहा, आर्थिक भी है। बिहार में ज्यादातर हत्याएं जो हो रही हैं, या तो जमीन के मामलों को लेकर हो रही है या न्यूनतम मजदूरी, निर्धारित मजदूरी, न देने के सवाल को लेकर हो रही हैं। मुख्य मंत्री बदलने से काम नहीं चलेगा। बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं किये गये हैं। जो फालतू जमीन बांटी जानी चाहिए थी वह या तो बांटी नही गई और अगर बांटी भी गई है तो जो जमीन हरिजनों को दी गई है उस पर उनको कब्जा नहीं मिला है। सारे देश का यह दृश्य है कि फालतू जमीन का जो भाग हरिजनों के हिस्से आया वह उनके पास तक नहीं पहुंचा है। गांवों के असरदार लोग, जबर्दस्त लोग, ऊंची जाति और ऊंचे वर्गों के लोग, ऊंचे सम्प्रदायों के लोग, लाठियां लेकर खड़े हो गये। वे हरिजनों को जमीन पर कब्जा नहीं करने देते है। सरकार क्या करती है ? न्यूनतम मजदूरी के कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है ? अगर सरकार पालन नही करा सकती है तो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का मतलब क्या है ? फिर उसको बढ़ाया भी जा रहा है। जो निर्धारित है वही नहीं मिल रहा है तो बढा हुआ कैसे प्राप्त होगा ? इसका आप मखौल मत बनाइये।

मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाएं और उनकी सलाह पर एक कार्यक्रम बनाएं । एक तारीख निश्चित की जानी चाहिए, 26 जनवरी की तारीख निश्चित की जा सकती है कि उस दिन सारे देश में प्रशासन के स्तर पर, जनता के स्तर पर, एक अभियान होगा कि जिन हरिजनों को जोतने के लिए जमीन दी गई है उस दिन उस जमीन का उनको मालिक बनाया जाएगा । आवश्यकता हो तो सरकार की सारी ताकत का इसके लिए उपयोग करें । क्या सरकार यह करने के लिए तैयार है ? उस मुख्य मंत्रियों की बैठक में न्यूनतम मजदूरी का सवाल भी चर्चा के लिए आ सकता है और उस पर चर्चा हो सकती है ।

महोदय, ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं कुछ उन प्रदेशों में और प्रदेशों में भी कुछ जिलों में हुई हैं । उन्हें छांटा जा सकता है, उनके लिये विशेष प्रशासनिक प्रबन्ध किया जा सकता है । इन जिलों में जो अफसर भेजे जाते हैं उनकी मानसिकता क्या है ? मैं तो चाहूंगा कि आई.ए.एस. और आई० पी० एस० की जो परीक्षा लेते हैं, उनका जब साक्षात्कार करते हैं तो उनसे यह सवाल पूछा करें कि आप जातिवाद या वर्णवाद में विश्वास करते हैं । अगर कोई वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है तो उससे पूछा करें कि वह जन्मणा या कर्मणा वर्ण में विश्वास करता है । मैं नहीं समझता कि क्या आज ऐसा प्रश्न उनसे पूछा जा रहा है या ऐसे प्रश्न किये जा रहे हैं । अगर आफिसर जातिवाद में डूबा है, अगर उसके मन में यह संस्कार है कि जन्म से व्यक्ति छोटा बना हुआ है तो वह न्याय नहीं कर सकता । ऐसे व्यक्ति कानून और व्यवस्था का पालन नहीं करा पाते । बिहार में अफसर भी जाति के युद्ध में फंस जाते हैं और अपने वर्ग का समर्थन करने लगते हैं । मैं यह सब अफसरों के लिये नहीं कह रहा हूं । अच्छे और बुरे सब जगह पर होते हैं । लेकिन मैंने कनाडा में देखा कि जब वहां भर्ती होती है आफिसरों की या नीचे दर्जे के कांस्टेबलों की भर्ती की जाती है तो उनके दिमाग में रेशियल डिसक्रिमिनेशन तो नहीं है, यह पता लगाने के लिये तरह-तरह के परीक्षण होते हैं ।

हमारे यहां तो जातिवाद बद्धमूल हो गया है । कभी कभी ऐसा लगता है कि रक्त का रंग बन गया है । सचमुच प्राणी जिस तरह से जन्म लेते हैं उसी हिसाब से जाति होती है । इस आधार पर सबकी मनुष्य की जाति बनती है । सभी मनुष्य एक तरह से पैदा होते है । लेकिन हमारे यहां जाति व्यवस्था का शिकंजा ऐसा कसा है कि वह जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ जाती है ।

वर्ण व्यवस्था के बारे में भी देश का दिमाग साफ होना चाहिए । मैं चाहता हूं कि इस पर देश में खुली बहस हो । मैं चाहता हूं कि सभी राजनैतिक दल इस सवाल पर स्पष्ट शब्दों में बहस करें । मैं कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण देता हूं । अभी पंडित कमलापति त्रिपाठी अभिनन्दन हुआ था । इस सुअवसर पर एक अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित हुआ । पंडित कमलापति त्रिपाठी हमारे राष्ट्रीय नेताओं मे से है । लेकिन उस अभिनन्दन ग्रंथ में मुझे एक लेख को देखकर आश्चर्य हुआ है जिसमें जन्मणा वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया है । जन्मणा व्यवस्था का कोई आधार नहीं है ...(व्यवधान)...

वर्ण का अर्थ है जो वरण किया जाये । जिसे हम वरण करते हैं वह हमारे वर्ण हैं । इसमें जो वरण करते हैं उसकी स्वीकृति आवश्यक है । तिवारी जी महाराज जरा ध्यान दें । व्यक्ति किसी आचार को ग्रहण करता है यह उसके गुण, कर्म और स्वभाव पर, जो अलग-अलग होते हैं, निर्भर करता है । वेदों में मानवीय सृष्टि के सृजन का उल्लेख मिलता है । उसमें वर्ण व्यवस्था का कहीं समावेश नहीं है । उसके बाद मार्कण्डेय पुराण में यह कथा आती है कि जीविका का प्रबंध हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने वर्ण धर्म की मर्यादा की स्थापना की । इससे यह स्पष्ट

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

है कि वर्ण व्यवस्था का आधार प्राचीन काल में आजीविका थी, जन्म नहीं था। वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक वर्ण व्यवस्था का आधार गुण, कर्म था न कि जन्म। वर्ण धर्म की अवधारणा वैदिक काल में यह थी कि जैसा आचरण, वैसा वर्ण। एक ही परिवार में अलग-अलग वर्ण के लोग साथ-साथ जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन कालांतर में जन्म के आधार पर वर्ण बद्धमूल हो गया और यहां से विकृति पैदा हुई।

महोदय, वेद व्यास धेवर कन्या के पुत्र थे, नारद दासी पुत्र थे वे इतने ऊंचे और इतने प्रतिष्ठित कैसे बने? व्यक्ति के बड़प्पन का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं होता। अगर बच्चा

3.00 PM

अच्छे वातावरण में पले, उसे अच्छे सस्कार मिलें अच्छा परिवेश मिले तो वह ऊपर उठ सकता है। हर प्राणी में, हर मनुष्य में अगर देवी चिंगारी है, हर बीज अगर वृक्ष बन सकता है तो हर नर नारायण क्यों नहीं बन सकता "जन्मणा जायते शूद्रः" सब शूद्र हैं जन्म से। "संस्कारात द्विज उच्यते।" यह बात अलग है कि हमने कुछ लोगों को संस्कार से वंचित कर दिया और कहा कि तुम शूद्र ही रहोगे। आज सारा समाज सेवा में लगा है, शूद्र हैं।

अब तो हम बीसवी शताब्दी से 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं। पता नही किस हालत में पहुचेंगे। लेकिन बालिग मताधिकार, उसके साथ शिक्षा का प्रसार, संचार और आगमन के साधनों का विस्तार औद्योगीकरण, भले रोजी-रोटी की तलाश में, क्यों न हो मगर लोगों का गांवों से नगरों में आना, बस्तियों में साथ-साथ रहना जहां बन्धन टूटते हैं और फिर कानून संविधान की मंशा, होना तो यह चाहिए था कि जाति-प्रथा के बन्धन ढीले हो जाते और जन्म के आधार पर वर्ण समाप्त हो जाते। आज तो जन्म और कर्म का भेद करने की आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं सृष्टि के प्रारम्भ से एक वर्ण था--हंस वर्ण। कलयुग में भी एक वर्ण है, हम सब शूद्र हैं। लेकिन हम शुद्र हैं, हम ब्राह्मण हैं यह कहने की आवश्यकता क्या है? हम मनुष्य हैं, हम भारतीय है। अपनी-अपनी निष्ठा के अनुसार लोग अपने देवताओं में, अपनी पूजा पद्धति में निष्ठा रखे उस में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन व्यवस्थाएं बदलती हैं स्मृतियां भी बदलती हैं,। यदि धर्म सनातन है तो उस सनातन धर्म में एक धर्म भी है। वक्त का तकाजा क्या है, काल की मांग क्या है? यह समता का युग है, समानता का युग है और आवश्यकता है समाजिक क्रान्ति की। मैं मानता हू कि सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो कोई क्रान्ति नहीं कर सकती वह तो केवल भ्रान्ति कर सकती है। (व्यवधान) लेकिन सरकार इस में सहायक तो हो (व्यवधान)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : आर० एस० एस० यह काम कर रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आर० एस० एस० यह काम कर रहा है तो आप उसको साम्प्रदायिक कहते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : साम्प्रदायिकता को आप बढ़ा रहे हैं (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मगर वाजपेयी जी के भाषण से तो ऐसा नहीं लग रहा है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह दिल से नहीं गले से है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं चाहता हूं कि आर्थिक विकास के लिए हरिजनों तथा वनवासियों के आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उन योजनाओं का लाभ उन तक मिले, इस बात की पर्याप्त सावधानी की जरूरत है। योजनाएं बहुत हैं मगर अपने दौरों में मैंने देखा है कि हरिजनों, वनवासियों को उनके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। उन योजनाओं का पूरा लाभ

उन तक नहीं मिलता है। कर्ज में डूब रहे हैं। परम्परागत धन्धे खत्म हो रहे हैं। रोजगार के नये द्वार उनके लिए खुल नहीं रहे हैं। हमने नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की है मगर रिजर्वेशन हम नाम-मात्र के लिए दे पाए हैं। उसका भी विरोध होने लगा है यह एक अलग समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि यह रिजर्वेशन दो चार नौकरियां देने के लिए नही है, इस बड़े वर्ग में यह भाव पैदा करने के लिए है कि तुम भी शासन में भागीदार हो, इस व्यवस्था में तुम्हारा भी दांव लगा है, तुम्हारा भी हिस्सा है। मगर आप आंकड़े देखें क्लास-1 और क्लास-2 में इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है।

वनवासियों के साथ और भी ज्यादती है। जो अफसर चयन करने के लिए बैठे हैं अगर उनके मन में कहीं भेदभाव भरा हुआ है तो न्याय नहीं होगा। लेकिन इस परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। यह खतरे की घटी है।

मैं वनवासियों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। परिगणित जनजातियों की मुख्य समस्या आर्थिक है। आदिवासियों की जीविका का मुख्य साधान था वन उगाना, पशु-पालन, मुर्गी-मत्स्य पालन, रेशम बनाना। वन-उपज पर भी वनवासियों का अधिकार था लेकिन आदिवासियों को शोषण से बचाना है इसलिए वन-उपज पर कहीं-कहीं सरकार ने एकाधिकार कर लिया है। अब आदिवासी दूसरे संकट से पीडित हो गये हैं। वन संरक्षण आवश्यक है; लेकिन यह चिंतन कि वन विनाश के लिए वनवासी जिम्मेदार हैं दोषपूर्ण है। आदिवासी वनों में हजारों साल से रह रहे हैं। वे वनों की गोद में, जंगलों में पले हैं, बढ़े हैं, वे वनों का महत्व समझते हैं। आग जलाने के लिए थोड़ी लकड़ी काट लेते होंगे लेकिन इससे वनों का विनाश नहीं हुआ। वनों के विनाश के लिए भ्रष्ट ठेकेदार, भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट अफसर जिम्मेदार हैं। मगर आज वनोपज पर वनवासी का कोई अधिकार नहीं। वनो में जो गांव थे, वनग्राम थे, उनसे वनवासी वंचित किये जा रहे हैं। विकास की योजनाओं के लिए जमीन ली जाती है, नियम यह होना चाहिए कि जमीन के बदले जमीन दी जायेगी। यह हो नहीं रहा है। पार्याप्त मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। वनवासी कहां जायें। उनके परम्परागत धंधे खत्म हो गये हैं उनकी आजीविका के साधन क्या हैं?

मैं समझता हूं, आज जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके दो कारण हैं। एक तो इन वर्गों में जागृति पैदा हो रही है। यह अच्छा चिन्ह है। अब वे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं; अब वे लड़ने को उतारू हो जाते हैं। यह अच्छा है। कब तक अत्याचार सह। इसीलिए बिहार में एक युद्ध जैसा दृश्य दिखाई देता है। वनवासी भी जाग रहे हैं। नकसलवादी उसका लाभ उठा रहे हैं। ये असतोष को हिंसा का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि जो निहित स्वार्थ के वर्ग थे उनका प्रभाव घट रहा है, आर्थिक दष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वे बेताव हो गये हैं, डिस्टर्ब्ड हो गये हैं और जैसे तैसे अपने स्वामित्व को वर्चस्व को बनाये रखना चाहते हैं। इस संघर्ष में सरकार की भूमिका क्या होगी, पुलिस की भूमिका क्या होगी? ऐसा दिन जल्दी आना चाहिए कि इन ज्यादतियों पर चर्चा करने का मौका ही न मिले, आवश्यकता ही न हो। लेकिन अगर चर्चा होती है तो यह होनी चाहिए कि हमें खुशी है कि ये घटनाएं कम हो रही है, हमें खुशी है कि अत्याचार के शिकार लोग कम हो रहे हैं। पता नही वह दिन देश में कब आयेगा। इस सरकार के चलते आयेगा इसकी तो आशा नहीं दिखाई देती है। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri Ajit P. K. Jogi. Not there. Those who are absent will not be given a chance to speak. This is a very important discussion and if the Member is not present he will not be given a chance. Shri Sohan Lal Dhusiya.

श्री सोहन लाल धुसिया (उत्तर प्रदेश): हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। हम सबसे पहले सरकार से ही जानना चाहेंगे कि सरकार पहले अपनी कमी को देखे। यह कांग्रेस की तरफ

[श्री सोहन लाल धूसिया]

कांग्रेस ने जितना कमिट किया है, कांग्रेस की सरकार ने जितना हरिजनों के लिए कमिट किया है क्या उसको उन्होने सेंटर में पूरा कर दिया है । अगर इन्होंने पूरा नहीं किया है तो इनको कोई हक नही है कि ये स्टेट्स से कह सकें कि तुम उसे पूरा करो । अगर कहेंगे भी तो बेअसर रहेगा । इसके लिए दो लाइन की एक मुहम्मद साहब की कहानी सुना दूं । मुहम्मद साहब के पास एक बुढ़िया आयी । उनका लड़का गुड़ खाता था जिससे दवा बेअसर हो जाती थी । मुहम्मद साहब भी गुड़ खाते थे, उन्होंने कहा कि कल लेकर आना मैं तुमको बताऊंगा । मुहम्मद साहब भी गुड़ खाते थे इसलिए उन्होने दो दिन प्रेक्टिस की कि गुड़ न खायें। तीसरे दिन बुढ़िया आयी । उन्होंने कहा अब जा तेरा लड़का गुड़ नहीं खायेगा यह दवा दे देना । बुढिया ने कहा यही कहना था तो पहले क्यों नही कह दिया, उन्होने कहा कि पहले मैं भी गुड़ खाता था । पहले मैंने छोड़कर देख लिया । अत:, मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो पहले सरकार को देना है उसे पहले पूरा कर दे, नहीं तो इस सरकार का कहना प्राविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए बेमान्य हो जायेगा । जितने राजा, महाराजा, जमींदार और अन्य लोग जो हरिजनों, गरीबों पर अत्याचार करते थे वह दल-बदल करके तो कांग्रेस में आ गये है । कहने-सुनने के लिये तो यह गरीबों की गवर्नमेंट है और गरीबों का वोट कांग्रेस के लिये है, लेकिन हकूमत में क्या गरीब है ? इसको सरकार स्वयं देख लें । क्या सरकार केविस है कि सचमुच में गरीबों की सरकार में भी मैजोरिटी है ? वोट देने वाले तो बहुमत में हैं क्योंकि हम गरीब लोग ही वोट देने वाले है, लेकिन हकूमत में कितने लोग हैं ? इन्दिरा जी ने यही सोच करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और प्रिवि पर्स बन्द कर दिये थे और यह सब उन्होने गरीबों के लिये किया था । हम यह कहेंगे कि यह सरकार भी ऐसी चीजों को करे और देखे कि हमारे यहां क्या-क्या कमियां हैं । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हरिजनों पर अत्याचार न कभी बन्द हुए हैं और न हो होंगे और खास करके जब से हिन्दू जाति-प्रथा आई है । अगर वह समझ लें कि वह हरिजन है, जो अभी तक अगर दोस्त रहा तो वह दुश्मन हो गया । यह भावना तो आज भी है और खास करके जब से देश आजाद हुआ तब से और ज्यादा प्रचलित हो गयी है । यही वजह है कि जितने बड़े लोग हैं, यहां आ करके नीतियों में अड़ंगेबाजी करके नीतियों का ठीक से कार्यान्वयन नही होने दे रहे हैं। अगर यहां से कोई स्टेट में चला भी जाता है तो उन्हीं के रिश्तेदार वहां पर हैं जोकि एक्सीक्यूट नहीं होने देते हैं और न होने देने में भी उनका हाथ है । अगर वह होने देंगे, तो उनके यहां कितने कारनामे होते हैं, वे बन्द हो जायेंगे और वह अपनी भलाई के लिये ऐसा करते हैं । गवर्नमेंट जो भी कहे या कानून बनाये, लोग ऐसे करेंगे नही क्योंकि वह जानते है कि कुछ असर तो होगा नही । हां, अगर इसी के साथ होम मिनिस्ट्री यह भी कर ले कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उन पर हम क्रिमिनल केस चलायेंगे तो नही मालूम इसमें कितने राजा-महाराजा आ जायेंगे, न मालूम इस केस में कितने बड़े जमींदार आ जायेंगे । जो दिल से गरीब हैं, जो विचार से गरीब हैं, वह गरीबों के लिये क्या काम करेगा ; गरीब ने तो वोट देकर सरकार बना दिया लेकिन हकूमत में वे लोग है, जो राजा महाराजा या जमींदार दल-बदल करके आये है, जो दिल के गरीब है और जो विचार के गरीब हैं। उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे गरीबो की भलाई करेंगे ।

अब हम सबसे पहले मिशन वालों को धन्यवाद देना चाहते है । मिशन वालों ने जो काम किया है हम लोगों के लिये, खास तौर से गरीब हरिजनों और आदिवासियों में, वह काम कोई नहीं कर सकता । उन्होंने जानवर से आदमी में बदल दिया है । जो पहले जानवर के समान थे, उनको उन्होंने आदमी बना दिया । लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो उनके ऐसा

करने पर नाराज होते हैं। भाई उनकी तरह से आप भी काम करने जाइये, आपको कौन मना करता है। आप जाइये, काम करने के लिये आप क्यों नहीं जाते है? अगर वे जानवर से आदमी बनाते हैं, तो हम धर्म को ले करके क्या करेंगे? धर्म काहे के लिये है? क्या धर्म गरीबों को सताने के लिये हैं? धर्म जीने के लिये है और धर्म तो वह है, जो पड़ौसी को भी जिन्दा रहने दे। अगर ऐसा धर्म है, जो कि गरीबों के पास जो कुछ है, उसे भी छीन ले, तो उस धर्म का क्या फायदा? पुलिस में रिपोर्ट न लिखाने पायें और अगर लिखी भी गयी, तो उसे दबा दो, तो क्या यही उनका धर्म है? आप देख लीजिये, हिन्दुस्तान की जमीन, हिन्दुस्तान का लोन, हिन्दुस्तान का ठेका, हिन्दुस्तान की नौकरी, राशन की दुकान, पैट्रोल की दुकान कोई भी चीज इनके पास जितना सरकार ने दिया है, उतना है नहीं, हां, कसम खाने के लिय आप इन्हें एक-दो दे देंगे। लेकिन जितना आपने कहा जितना कमिट किया है, जितना कांग्रेस गर्वनमेंट ने कमिट किया है, मैं तो नहीं समझता कि वह कहीं किसी स्टेट में पूरा है। हम मंत्री जी के आभारी होंगे, अगर वह जवाब में बता दें कि इस स्टेट में इस डिपार्टमेंन्ट में इनकी सर्विस पूरी है। हम सर्विस के लिये जोर इसलिये देते हैं कि इनके पास जमीन तो हैं नहीं और न ही इण्डस्ट्री है, लोन उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि लोन के लिये जाते हैं, तो कहते हैं कि "नो कमीशन, नो लोन" यह आम नारा है। उसके पास अगर कुछ होता तो वह लोन लेने के लिये क्यों जाता? ऐसा बात नहीं है कि यहां के मैम्बरान लोग जानते नहीं हैं, गर्वनमेंट में रहने वाले लोग जानते हैं लेकिन इसमें को गवाह नहीं है। हमें एक जवाब मिला है यहां पार्लियामेंट में इतफाक से वह जवाब मेरे पास यहां है। हमने पूछा था एम० बी० बी० एस० डाक्टर के लिए तो यहां से हमको बताया गया कि शायद क्वालीफाइड परसन नहीं मिले। हम पूछ रहे हैं कि जब एम० बी० बी० एस० है तो अब कैसी क्वालीफिकेशन रहती है? क्वालिफिकेशन के साथ यह रह जाता है कि हरा नोट चाहिए था, फिर वह आ जाता। डाक्टर की क्वालिफिकेशन एम० बी० बी० एस० होना जरूरी है। जबकि पेट्रोलियम में हमने पूछा, उनका कोटा पूरा नहीं है और उनको क्वालीफाइड डाक्टर नहीं मिलता। क्वालीफाइड डाक्टर क्यों नहीं मिला, मतलब हरा वाला नोट नहीं मिला। मैं त यही कहूंगा कि उनको हरा वाला नोट मिल जाता तो डाक्टर क्वालीफाइड हो जाता। यही स्थिति इंजीनियरिंग सरविसेज के लिए है;

महोदय, मिशन के लिए आभारी हम इसलिए हैं कि उन्होंने बहुत इंटीरियर में जाकर के हम लोगों को शिक्षा-दीक्षा दी है, हम लोगों की चाल-ढाल को बदल दिया है। हम समझते हैं कि हम जितनी उनकी तारीफ करें वह सब कम है। हम यही कहेंगे कि हम लोग जानवर थे उन्होंने हमको इंसान बना दिया है। अब आपकी चालाकी और मक्कारी को समझने लगे हैं और अगर हम चालाकी और मक्कारी को समझ रहे हैं तो कुछ यह कहते हैं कि यह बहुत बदमाश हो गए हैं इसको सूट करवा दो नक्सलाइट साबित करो। बहुत अच्छा तरीका है कि नक्सलाइट साबित करो और सूट कर दो। हमारी अस्मत लूटी जाती है किस्मत तो पहले ही लूट ली गई है, जमीन है नहीं। अब जहां तक मछली मारने का ठेका भी इन्हीं लोगों को दूसरे लोगों को देते हैं। एक मजे की बात और बताऊं कि जो यह म्युनिसिपेलिटी में जमादार की पोस्ट होती है सफाई वगैरह करने के लिए उन पर जो हेड जमादार होता है वह भी शेडयूल्ड-कास्ट का नहीं होता स्वीपर नहीं होता बल्कि कोई दूसरी कास्ट का होता है। अब कहीं तो ईमानदारी दिखाओ भाई कुछ तो ईमानदारी दिखाओ।

महोदय अगर कहीं कुछ घटना होती है तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी और अगर लिख भी ली गई तो इस तरह से उसको तोड़-मरोड़ कर लिखा जाएगा कि कोई केस हीं नहीं बनेगा। इधर जो अपनी

[श्री सोहन लाल धुसिया]

मेहनत से या मिशन के पढ़ाने से या गवर्नमेंट के पढ़ाने से कुछ लोगों की मदद से पढ़ भी गए हैं और सर्विसेज में आ भी गए है तो उनको इतना तंग किया जाता है इतना "इफ एण्ड बट" लगा देते है कि परमोशन तो उसका होना ही नही बल्कि उसके जूनियर पता नहीं कितने सुपरसीड कर जाते हैं। इस तरह का कई जगह देखने में आता है। अभी-अभी मुझे एक ए० जी० आफिस का केस मिला है, यह बहुत पवित्र आफिस है इलाहबाद का ए० जी० आफिस इसका केस मुझे मिला है। चूंकि मैं बस्ती का हूं बस्ती मे, अब नाम तो नहीं बताऊंगा एक सज्जन को तीन साल हो गए है उनका ट्रांसफर तो दूर उनको डबल चार्ज दिला रहे हैं और जो एक शेडयूल्ड कास्ट का आया था दस महीने भी नहीं हुए थे उसका ट्रांसफर कर दिया। यह आफिस सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसर्न रखता है और उसके अनुसार तीन साल बाद के ट्रांसफर होना है, लेकिन दस महीने में उसका ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उसका कोई मां-बाप तो है नहीं। तो मैं चाहूंगा कि इलाहबाद ए० जी० के खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिए कि ऐसे उन्होंने कितने ट्रांसफर किए हैं और इसमें कितना बंगलिंग हुआ है ? बिना बंगलिंग तो काम हुआ नहीं। ए० जी० इलाहबाद के खिलाफ आप जांच करवाइये और अगर एक भी केस मिलता है तो उसके खिलाफ एक्शन आपको लेना चाहिए।

महोदय सरकार को कुछ कानूनों में चेंज करना चाहिए। कुछ नेशनल लोस हो रहा है अल्टीमेटली हम इस पर आएंगे नेशनल लोस पर। मैं तीन जेलखाने में रहा हूं सन 1942 में इंदिरा जी के टाइम में भी जब वह हट गयी थीं तो दो मर्तबा मौका मिला जेलखाने जाने का। उसमें हमने दो चीज देखी हैं एक तो अंग्रेजों के जमाने का क्रिमिनल ट्राइब्ज एक्ट है इसको बदलना चाहिए। इस क्रिमिनल ट्राइब्ज एक्ट में, यू०पी० के बारे में बात करता हूं इसमें उन्होंने अपने जमाने में लिखा था। आजकल कोई जेलखाना ऐसा नहीं है जिस में हिंदू कास्ट की भरमार न हो। तो जो क्राइम कर रहा है उसको क्रिमिनल टाइप में रखना चाहिए लेकिन जो मेहनत मजदूरी कर रहा है उसको क्यों रखा जा रहा है दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लैंड बेकार पड़ी हुई है उसको गरीबों को आप दिलवाए। उसे पटवारी से लेकर नायब तहसीलदार तहसीलदार तक देंगे क्योंकि वे जानते है कि अगर गरीबों को काम मिल गया तो बड़े आदमियों के यहां काम नहीं होगा। इसलिए वे जानबूझकर नहीं देते हैं। महोदय मेरा सुझाव है कि सरकार ऐसा कर दे कि जो जमीन जिसके नाम में है वह रखे रहे। उस जमीन का रेवेन्यू अनाज में लिया जाता है। होना यह चाहिए कि मान लो बीस सर्किल में इतना गल्ला पैदा होता है तो गल्ला लो। इस तरह लोग जमीन छोड़ने लग जाएंगे और नेशनल लास नहीं हो पाएगा।

महोदय इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहूंगा कि जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है उन में 51 परसेंट लैंडलैस हरिजन मायनोरिटीज के लोगों और गरीबों को रखना चाहिए मैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नही कहूंगा। एक अन्य बात यह है कि अदर दैन शेड्यूल्ड कास्ट्स जो है उन को सबसे पहले लैंडलेस का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जबकि उनके मां-बाप के पास पैसा है वह ले लेगा। लेकिन जो मायनोरिटीज में शड्यूल्ड कास्ट्स हैं उस को नहीं मिलेगा। एक्चुअली देख लिया जाय कि वह लैंडलैस है शैड्यूल्ड कास्ट का है तो उसको इंडस्ट्रीज में पहले जगह देनी चाहिए। अगर यह बेकारी आपने कंट्रोल नहीं की तो देश में अमन और अमान नहीं रह पाएगा। नक्सलवाद बढ़ेगा। ठीक है आपके पास बंदूक है तो आप मार देंगे लेकिन एक दिन आप का हाथ कांप जाएगा। महोदय, हमारे यहां विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्य मंत्री थे। उनके भाई को मार डाला गया। तो हम यह न समझें कि ये शिकार खेलनेवाले शिकार नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि अमन-अमान कायम रहे। अमीर और गरीब दोनों एक साथ चलते रहें हम केवल रोजी-रोटी चाहते हैं। मेहनत करना

चाहते हैं लेकिन जो लोग जमीन छुपाकर बैठे हैं कामचोर है, मेहनत नहीं करते है, उनकी वजह से हमको मेहनत करने के लिए जगह नहीं मिल रही है यह बदइंतजामी है और इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिये।

महोदय मैं एक और चीज कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नवोदय विद्यालय और सेंट्रल स्कूल्स हैं इन में ट्रेंड टीचर्स रखे जाते हैं। हमने क्वेश्चन किया है कि न तो नवोदय विद्यालय में और न सेंट्रल स्कूल में हमारा कोटा पूरा है। हमने जब उनसे पूछा कि क्या आप सलेक्शन बोर्ड में सलेक्शन करते समय इनको रखते है तो बड़ी चालाकी से धूर्तता तो मैं नहीं कहूंगा वह बड़ा तीखा शब्द हो जाएगा लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने कहा कि फायनल में रखते हैं। तो अगर जो कम पढ़ा-लिखा होगा वह तो नहीं समझ पाएगा। मैं हायर एजुकेशन कमीशन में था इसलिए मैं जानता हूं किस तरह से बेईमानी होती है, लेकिन आपने उन अफसरों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो मैं सरकार से कहूंगा कि वह गरीबों के साथ. देश के साथ और राजीव सरकार के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ऐसा मत करिए वरना गरीब तबाह हो जाएगा। गरीबों को छोड़कर आप देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। आप अपने दिल-दिमाग से यह निकाल दीजिए। अगर आप को दोनों टाइम खाना मिल रहा है तो आप यह मत सोचिए कि देश तरक्की पर है। आप का पड़ोसी आपको लूट लेगा और अगर आपने शोर किया तो मार डालेगा। हम आपसे खाली जस्टिस चाहते हैं और इस जस्टिस के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। हम आपको खाली प्वाइंट आऊट कर देंगे कि यहां पर हमारे साथ ज्यादती हो रही है। एक बात और रह गई है, यह मंदिर-मस्जिद की बात। मंदिर-मस्जिद की बात यह हमारे पोलिटिकल भाई कभी-कभी खड़ी कर देते हैं। कोई भी फकीर, कोई भी सूफी संत कोई भी ऋषि मंदिर-मस्जिद में नहीं गया पता करने के लिए। वे जहां बैठे, वहीं मंदिर-मस्जिद हो गए। और यह केपटिलिस्ट जो है, जोर इसका यह है कि जब कोई इंडस्ट्री यह बनाएगा तो सबसे पहले एक मंदिर या मस्जिद बना देगा ताकि उस गरीब की मजदूरी का एक हिस्सा उसमें चला जाए। मैं तो खैर मंदिर-मस्जिद में जाता नहीं, दूर से नमस्कार कर लेता हूं। लेकिन हां, इतना मैं कहूंगा उन लोगों से कि, एक शेर याद आ गया :—

ये इनके मंदिर ये इनकी मस्जिद
है जरपरस्तों की सजदागाहें,
अगर ये इनके खुदा का घर है
तो फिर वो मेरा खुदा नहीं है।

मैं कहूंगा लोगों से कि भाई मंदिर-मस्जिद का झगड़ा छोड़ दो। गरीबों को फंसाओ मत, गरीब नासमझ है, आप यह बात छोड़ो। बहुत बड़े पुरी के शंकराचार्य जी की बात है। उन्होंने कान्स्टीट्यूशन के 14 और 17 आर्टिकल के खिलाफ बयान किया है, पब्लिक में बयान दिया है। दूसरी कोई सरकार होती, मै इस सरकार से भी आग्रह करूंगा कि कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए। इसको न लेने से हरिजनों की भावना कुंठित होगी और दुर्जनों की भावना आगे बढ़ेगी। यहां इस देश में अगर हरिजन हैं, मुसलमान हैं तो दुर्जन भी हैं। एक अगर इन्करेज होगा तो दूसरा डिस्करेज होगा। हम इस मामले में जितने हिन्दुस्तान के शंकराचार्य हैं उन सब लोगों को सलाह देंगे कि आप गोरखपुर के महन्त जी से, अवैध नाथ महन्त जी की वह नकल करें जो हमेशा हर मनुष्य को मनुष्य मानते हैं... (समय की घंटी)... और उन्होंने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। जहां भी वह गए हैं, उनका स्वागत होता है। आज तक उन्होंने नहीं कहा किसी भी हिन्दू से कि यह हरिजन हैं इनको मत जाने दो। यह दुर्भाग्य है। मालूम नहीं हम नहीं समझ पा रहे हैं, या सरकार नहीं समझ पा रही है या धर्म के ठेकेदार नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर डा० अम्बेडकर ने इन लोगों को क्यों बुद्धिस्ट बनाया था, हिन्दू धर्म से तंग आकर ही। लेकिन अगर उसमें कुछ एमेंडमेंट हुआ और अब की मर्तबा उन्होंने अगर कन्वर्ट कर

[श्री सोहन लाल धूसिया]

दिया, अपने को मुसलमान कर दिया तो मैं कहूंगा कि हिन्दुओ संभल जाओ तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। चेतो। हिन्दुओ अपनी यूनिटी बनाए रखने के लिए, हिन्दुस्तान को बरकरार रखने के लिए चेतो। यह मत कहो कि कोई ऊंचा-नीचा है। आपकी गीता में तो जगह-जगह श्लोकों में कहा गया है कि हर जीव बराबर है। काहे को ऐसा करते हो।

उपसभापति (श्री जगेश देसाई) : अभी खत्म कीजिए धूसिया जी।

श्री सोहन लाल धूसिया : बस खतम कर रहा हू। अब आपने टोक दिया इसलिए खत्म करता हूं। हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि पहले आप अपने यहां देख लीजिए, जो कमी हो। कुछ अफसरों को निकालिए और कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव अफसर रखिए जो सचमुच इसमें इटरेस्ट रखते हों और इसके साथ-साथ इसको किसी न किसी तरह से होम मिनिस्ट्री से अटैच कीजिए। जब तक आप उनको अटैच नहीं करेंगे तो हरिजनों की औरतों की अस्मत लुटती रहेगी। और जब यही दूसरे उनकी अस्मत लूटते है तो बवंडर मच जाता है कि अहीरों ने यह किया, हरिजनों ने यह किया, मुसलमानों ने यह किया और वे जब लूटते है तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। हम चाहते हैं कि ऐसी बात न होने पाए। पहले आप अपने को दुरस्त कर लीजिए। इसको होम मिनिस्ट्री से चाहे कैसे अटैच कीजिए। दो चीजें हम आपसे जरूर कहेंगे कि एक तो होम मिनिस्ट्री से अटच करिए, एक-एक क्राइम का ब्यौरा होना चाहिए और दूसरी चीज तभी आप करेंगे, इम्पलीमेंटशन तभी होगा जब आप पहले उसे पूरा कर दगे नहीं तो कांग्रेस की नीतियों को जो ये हकूमत में हैं, जो सरकारी अफसर हैं ये लोग फेल करेंगे, गरीब नहीं। गरीब तो आज भी कांग्रेस के लिए लड़ता है। गरीब आदमी कांग्रेस के लिए मरता है लेकिन आप लोग गरीब आदमी को उस तरह से जिन्दा नहीं रहने देना चाहते जिस तरह से वह चाहता है।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, आज इस सदन में हरिजन, आदिवासी उत्पीड़न पर चर्चा हो रही है और इतने वर्षों के बाद यानी आजादी के 40 वर्षों के बाद जबकि स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन छेड़ा गया था उसमें अस्पृश्यता उन्मूलन आदि सारी चीजें एक मुद्दे के रूप में रहा करती थीं, प्रदेश आजाद हुआ लेकिन उसके बाद आज भी जो उन लोगों की स्थिति हो रही है उस पर यहां पर विचार कर रहे हैं। जब इस पर विचार कर रहे है तो हमारे सामने जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं का एक विवरण आना आवश्यक है क्योंकि बिना उसके जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, नहीं आयेगा तो हम सही निर्णय पर नहीं पहुंच पायेंगे।

आजादी के इतने वर्षों के बाद आज उन हरिजनों के साथ, आदिवासियों के साथ इस तरह का उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। कोचीन में आज भी फरवरी के महीने में एक हरिजन 21 वर्ष के नवयुवक के मुंह में पेशाब किया गया। उसे मैला खिलाया गया। मुंगेर में भी करीब आठ लोगों को मारा गया। गाजियाबाद में एक हरिजन की हत्या हुई और औरंगाबाद की चर्चा तो निराली है उस पर मैं बाद में आऊंगा। पटना के मुंगेर जिले में सरोरा गांव के 50 लोगों पर आक्रमण करके पूरी हरिजन बस्ती को लूट लिया और उनको मारा। औरतों को भी बुरी तरह से बेइज्जत किया। बड़ौदा में भी 250 हरिजन बाल्मीकि लोगों की झोंपड़ियों को उजाड़ दिया गया। वे कहीं भी रहने लायक नहीं रहे। बिल्कुल विस्थापित हो गये। तिरुचिरापल्ली में भी 24 झोंपड़ियां हरिजनों की उजाड़ दी गयी। बेचारे वे सारे गृहहीन हो गये। भोपाल में एक हरिजन अपनी शादी के समय घोड़े पर चढ़कर दुल्हा बनकर ज्यों ही जा रहा था त्यों ही लोगों ने उसे घेर लिया और इतनी बुरी तरह से मारा कि उस दुल्हे

की जो दुर्गति हुई वह वहां के लोग ही जानते हैं। शादी में किस तरह से व्यवधान हुआ यह वहा के लोग ही जानते हैं। यह करूण कहानी आज भी है। जम्मू में भी इसी तरह से हरिजन मजदूर फरवरी महीने में और जुलाई के इस महीने में बहुत बुरी तरह से पीटे गये। धनबाद में 11-12 जुलाई की रात को कोलहार में बुरी तरह से आदिवासियों की हत्या की गयी जिसमें 8 आदिवासियों को मारा गया। नालन्दा में दो हरिजनों को मार दिया गया। कुरुक्षेत्र में भी इसी तरह की घटना हुई जिसमें सरबती के साथ और दूसरी महिलाओं के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ यह बहुत ही शर्मनाक कहानी रही है। इसी तरह से सारी घटनाएं घटती जा रही है लेकिन जब उधर देखते हैं...

श्री हेच० हनुमनतप्पा (कर्नाटक) : आपने अपने स्टेट को छोड़ दिया।

श्री राम नरेश यादव : घबराइये नहीं मैं उधर भी आऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि उधर मेरा ध्यान नहीं है। अभी जहां तक बढ़ते हुए अपराधों का सवाल है अभी माननीय वाजपेयी जी ने इस ओर इशारा भी किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य उधर से आवाज उठा रहे हैं जरा उन्हें अपने सीने पर हाथ रखकर गम्भीरता से सोचना चाहिए कि जिसके शासनकाल में हत्याएं हुई हैं और उत्पीड़न और अत्याचार किसके शासनकाल में बढ़े है। 1976 में 5,986 हस्तक्षेपी कोगनीजेबल आफेंस की रिपोर्ट दर्ज हुई। अगर इसमें कमी हुई होती तो बात समझ में आती कि सचमुच सत्ता पक्ष के लोगों ने और सरकार में बैठे हुए लोगों ने उनकी दशा पर गहराई से विचार किया और विचार करने के बाद ऐसे कदम उठाये जिससे इन बढ़ते हुए अपराधों में कमी आई। लेकिन 1983 में ये घटनाएं 5986 से बढ़कर 15936 हस्तक्षेपी अपराध हो गये। जिस शासन के चलते, दिल्ली में जिस पार्टी की हुकूमत है, बीच में थोड़े समय को छोड़कर, उसके चलते इस तरह के अपराधों में वृद्धि हुई है।

महोदया, मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस तरह के अपराध हुए हैं।

श्री हेच० हनुमनतप्पा : आपकी पार्टी जिस प्रदेश में शासन में है उस प्रदेश की बात कीजिए। आपके स्टेट की बात हम नहीं पूछ रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Let us not bring politics into this. Let him ocntinue without interruption.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: He has deliberately left the Janata State. That is why I have reminded him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You continue your speech and you address the Chair.

श्री राम नरेश यादव : श्रीमन्, ये इसको राजनैतिक करार दे रहे हैं। जनता पार्टी की नियत है कि इस प्रश्न को मानवता के आधार पर सोचा जाना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उसके आधार पर उसका निराकरण करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारी संकुचित मनोवृत्ति और प्रवृत्ति के कारण ही हमारे समाज की यह दुर्दशा हो रही है। उसमें परिवर्तन लाने की बात की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक रेप का सवाल है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले में सब को पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का नम्बर आता है। जो घटनाएं हो रही हैं उनकी विस्तार से मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं परन्तु संक्षेप में कुछ इशारा करना चाहता हूं। इस संबंध में जो आखिरी घटना हुई है उसको पढने के बाद किसी भी चिन्तनशील व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाता है, किसी भी जागरूक नागरिक का मस्तक शर्म से झुक जाता है। जो घटना जहानाबाद के नोनही और नगवा गांव में घटी है, बिहार में जो घटनाएं घटी हैं बुद्ध

[श्री राम नरेश यादव]

और महावीर की धरती पर जहां शांति और अहिंसा का संदेश सारे विश्व में फैलाया गया उस धरती पर सामूहिक हत्याओं की श्रृंखला चलती है। बगहा, पीपरा, धरनिया, बघोरा आदि अनेक स्थान हैं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं। यह देश के लिए बहुत ही चिन्ता की बात है ऐसे समय में जब बेचारा मजदूर सारे दिन की गाढ़ी कमाई करके घर लौटता है, जिसके घर में गरीबी के कारण चूल्हें में आग भी नहीं जलती है जो ठीक ढंग से अपना पेट भी नहीं भर पाता है, वह जब रात को सोया होता है तो एकाएक उसको, उसके बीवी बच्चों के साथ नियोजित ढंग से मौत के घाट उतार दिया जाता है। हमें इस समस्या पर सभी दृष्टियों से विचार करना चाहिए। हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, इस पृष्ठभूमि में इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, इसको देखा जाना चाहिए। हमारा ध्यान वर्ण व्यवस्था पर भी जाना चाहिए। गीता में कहा गया है कि गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर किसी को ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य एवं शूद्र कहा जा सकता है। लेकिन धीरे-धीरे कालान्तर में इन चीजों ने जातिवाद का रूप ले लिया। जिसका जो पेशा था उसके आधार पर उसकी जाति बन गई। लोहार का बेटा लोहार हो गया और बढ़ई का बेटा बढ़ई हो गया। जो आदमी जो काम करता था उसके कटघरे में उसको खड़ा कर दिया गया। इसी वर्ण व्यवस्था के चलते हमारे देश में बाहरी आक्रमण भी हुए, देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गया। आजादी के आन्दोलन मे और आजादी के बाद हमारे नेताओं ने इस समस्या पर विचार किया। गांधी जी ने छूआछूत उन्मूलन के विरूद्ध लड़ाई लड़ी। इसी पृष्ठभूमि में बाबा साहब अम्बेदकर जी ने जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किया जिस संविधान का हम संकल्प लेते हैं उसमें कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक किसी भी आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता है। इसी संविधान में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के निवारण की बात भी आई है। फिर उसके साथ आरक्षण की बात आई। फिर उसके साथ साथ और भी जो सामाजिक आधार पर न्याय दिलाने के लिये सारी बातें आई और विधान सभाओं तथा लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई। सारी व्यवस्था की गई लेकिन इस व्यवस्था के बाद मान्यवर आज क्या स्थिति है यह एक बहुत ही विचारणीय बात है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो अनटचैबिलेटी की बात रखी है तो छूआछूत मिटाने के लिए प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स की बात आई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों के बाद भी श्री निरंजनदेव, पुरी के शंकराचार्य जिस तरह की मनोवृति को देश के सामने रखने का काम किया इससे ज्यादा घृणित मनोवृत्ति कोई हो नहीं सकती। एक इतने उच्च आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स के तहत और कांस्टिट्यूशन में जो छूआछूत को समाप्त करने की बात है, उसके तहत सरकार ने इतने दिनों के बाद क्या कदम उठाने का काम किया। अगर सरकार ने कोई कदम उठाने का काम नही किया तो उसका क्या कारण है? जो 15 करोड़ की आबादी यहां पर सम्मान के साथ जीना चाहती है, जो रोटी के लिए जिन्दा रहना चाहती है, जो देश की राष्ट्रीय धारा से जुड़कर राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाकर राष्ट्रीय एकता की रक्षा करना चाहती है उसके लिये आपने क्या किया अगर आपने कुछ नहीं किया तो मान्यवर, मेरा आरोप है कि यह सरकार उनके लिये कुछ करना नही चाहती जब चुनाव आयेगा तो उस समय राजनीतिक वायदे जरूर करेगी लेकिन फिर उनके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी से मुकर जाती है इसलिए मेरा आरोप और मैं सरकार से मांग भी करता हूं और यह जानना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि छूआछूत खत्म हो और प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स के अन्तर्गत दोषी लोगों पर मुकदमें चलें तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिये और ऐसे लोगों का सामाजिक

बहिष्कार करने का निर्देश होना चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसे स्थानों से हटाना चाहिए ताकि देश की 15 करोड़ जनता के अंदर सम्मान की भावना जागे। सही यह अधिकार हरिजन को भी दिया जाना चाहिए कि वह उस पीठ पर बैठ सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं मान्यवर कि नौकरियों मे आरक्षण की बात आई। लेकिन इतने वर्षो के बाद भी आज स्थिति क्या है। इस स्थिति का आकलन जो शैड्यूल कास्ट एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट है उसमे स्पष्ट हो जाती है। जब मैं यह बात कहता हूं तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अभी तक प्रथम और द्वितीय श्रेणी की जो सरकारी नौकरियां हैं और उन नौकरियों में जो आरक्षण का कोटा रखा गया है, 15 फीसदी और 7.50 फीसदी वह कोटा आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? यह जिम्मेदारी किसकी है? क्यों सरकार ऐसे अधिकारियों, जिनके जिम्मे आरक्षण के कोटे को पूरा करने की जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ कार्यवाही करती। जिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, संविधान के तहत, क्यों नहीं उसका पालन किया जा रहा है। मान्यवर, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट आफ इंडिया इसमें है कि ए श्रेणी के शैड्यूल्ड कास्ट 1-1-65 को 1.64 और 1-1-84 को 6.92 नौकरियों में थे। इसी प्रकार बी श्रेणी की नौकरियां में 2.82, 1-1-65 को और 1-1-84 को 10.80। यह तो है अनुसूचित जातियों का। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का सवाल है 0.27, 1-1-65 को और 1-1-84 को 1.70। यह स्थिति है। मान्यवर, इस भीषण स्थिति से यह लगता है कि सचमुच में सरकार उनको आरक्षण का प्रलोभन देती है लेकिन जितने रखे जाने चाहियें इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में जो प्रयास किये जाने चाहिएं वह नहीं किए जा रहे है। दूसरी तरफ मान्यवर, इसके पेज 7 पर कैटेगरी आफ पोस्ट दी गई है। आफिसर 1-1-83 को 4.64 और 1-1-85 को 5.72 क्लर्क में 1-1-84 को 12.96 और 1-1-85 को 13.83। यह शैड्यूल्ड कास्ट का है। यही हाल अनुसूचित जन जातियों का भी है। 1.07, 1-1-83 को। 1-1-85 को 1.47।

मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक विकास की यह स्थिति है तो आखिर कैसे आप उन लोगों में सम्मान की धारा जागृत कर के राष्ट्रीय धारा से जोड़ सकेंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सवाल यह है कि सरकार कहती है कि हरिजनों के उत्थान के लिये अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिये तरह तरह की योजनायें हमने बना रखी हैं वह है स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और भी दूसरी योजनायें हैं इन योजनाओं के तहत उनको रोजगार देने का भी अवसर उपलब्ध कराते हैं ताकि वे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लेकिन उसको भी जरा आप देखें कि क्या हालत हो रही है। जो पैसा सरकार इन योजनाओं के लिये निर्धारित करती है वह भी ठीक से खर्च नही किया जा रहा है। यह बहुत ही दुखद और चिन्तनीय है इस सदन के लिये मैं यह समझता हूं। एक चिन्तनीय स्थिति मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो इसी कमीशन की रिपोर्ट में भी है। वह यह है कि 1980-81 में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत शैड्यूल्ड कास्टस के लोगों को जो पैसा दिया गया था या इनके लिये रखा गया था वह था 547.84 करोड़ 1984-85 में यह था 974.12 करोड़ लेकिन खर्च कितना हुआ है उसको जरा देखिये। 1980-81 में 394.71 करोड और 1984-85 में जो 974.12 करोड़ रखा गया था उसमें से खर्च हुआ 785.05 करोड़। कुल शार्टफाल जो आता है जो खर्च नही किया गया वह 648.46 करोड़ आता है यह 648.46 करोड़ रुपया जो सरकार ने हरिजनों के उत्थान के नाम पर स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में रखा था इसको न खर्च करना इस बात का द्योतक है कि यदि सचमुच में पैसा खर्च हुआ होता तो उनकी स्थिति में सुधार आ गया होता लेकिन न खर्च करना यह किसकी जिम्मेदारी है? उसी के साथ साथ एक और भी सवाल है जो केन्द्रीय सरकार की तरफ से सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है उसको भी आप देखें। जब यहां पर 648 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया तो इस सेंट्रल असिस्टेंस में 6 अरब रुपया रखा गया था। यह सेंट्रल असिस्टेंस स्पेशल कम्पोनेंट

[श्री राम नरेश यादव]

प्लान में 600 करोड़ रुपया रखा गया लेकिन 6 अरब की जगह पर पांच अरब रुपया खर्च हुआ । यह भी आखिर पैसा खर्च न करने की किस की जिम्मेदारी है ? यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि जब सरकार पैसा रखती है और उस पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करती खर्च नहीं करती तो यह किस की जिम्मेदारी है ? मेरी सरकार से मांग है कि सरकार ऐसा कानून बनाये ऐसे लोग जो सरकारी नौकरियों में रहने वाले लोग है कोई न कोई बहाना बना कर यह इन लोगोंको वहां पर नौकरी में नही आने देते हैं और उनको किसी न किसी कारण से अलग कर दिया जाता है । इसका जिम्मेदार कौन है ? कमीशन ने भी अपनी रिकमेंडेशन सरकार के पास दी है कि इसकी जिम्मेदारी को फिक्स किया जाना चाहिये और कानून में संशोधन कर के यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जो अधिकारी आरक्षित पदों पर उन जातियों के कर्मचारियों को आरक्षण नही दे पाता है उसको कोई न कोई दंडनीय अपराध घोषित किया जाना बहुत जरूरी है । दूसरी बात यह है कि जो योजना का पैसा जाता है उसकी भी जिम्मेदारी निश्चित रूप से फिक्स की जानी चाहिये और उसमें यह देखा जाना चाहिये कि जो पैसा सरकार ने प्रावधान किया है उसका इस्तेमाल क्यों नही हो रहा है । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मामला बहुत गंभीर है । जब इस तरह की स्थिति हो और उनके पास रहने के लिये मकान भी न हो, खाने के लिये भी कुछ न हो और यह सारी चीजें जब हो रही हों और सम्मान के साथ वह जिन्दा न रह सके । आखिर – यह तीनों चीजें आज हो रही है तो जमीन की बात की जाती है । बिहार में या दूसरी जगहों पर लड़ाई के क्या कारण हैं ? एक तो सामाजिक है वहां पर भूमि का विवाद है उनके पास जमीन नहीं है मजदूरी करते है । आज भी उनको डेढ़ किलो अनाज मजदूरी के रूप में दिया जाता है तो कैसे उनका परिवार जिन्दा रहेगा जबकि मिनिमम वेजेज एक्ट को भी आपने पास किया है । मैं यह पूछना चाहता हूं उसका पालन क्यों नहीं होता है । इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? इसको क्यों नहीं देखा जाता है ? यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जो मिनिमम वेजेज एक्ट पास किया गया है उसका पालन सही ढंग से हो ताकि वह गरीब निरीह इस तरह से गोलियों के शिकार न होने पायें और उनकी महिलायें अनाथ न होने पायें । तीसरी बात जो हो रही है वह निश्चित रूप से चिन्ता की बात है । जब आज समाज का हजारों वर्षों से उपेक्षित, उत्पीड़ित, शोषित वर्ग का नौजवान जाग रहा है स्वाभिमान के लिये वह भी चाहता है कि देश के सम्मान के साथ उसका भी सम्मान जुड़े । और जब वहां आकर सम्मान के साथ अपनी जिन्दगी जीना चाहते हैं तो दूसरे लोग जो हजारों साल से नौकरियों में हावी रहें है, व्यापार में हावी रहें है, उद्योग में हावी रहे हैं, सारी जगहों में हावी रहे है, उन लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं हमारे अधिकारों पर, कुठाराघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं । जैसे टीला खोदने के लिये फावड़ा चलायेंगे या कुदाल चलायेंगे तो कम्पन होगा वेसे ही समाज में इन सबका कम्पन होना स्वाभाविक है । इसलिये हम समाज के उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आज समाज की नाडी को परखें, पहचानें और जो लोग अपने स्वाभिमान के लिये रक्षा के लिये आगे आना चाहते है उनको मौका देने का काम करें ।

चौथी बात जो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं वह यह है कि आप इसका प्रचार और प्रसार भी कराइये कि सचमुच में समाज में इन वर्गों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं जिससे समाज के बुद्धिजीवी लोग आगे आयें और आगे आ करके इस उत्पीड़न को रोकने का काम करें तभी जाकर यह मामला हल हो सकता है । हम गांधी के देश में, बापू के देश में इस तरह से हरिजनों पर अत्याचार की चर्चा करते है । भविष्य में फिर ऐसी चीज न हो इसलिये इन चीजों की तरफ सरकार को ध्यान देना जरूरी है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Dharanidhar Basumatari. Only ten minutes please.

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI (Assam): Sir, I am thankful to you for calling me. This is a very painful matter for me to hear such a criticism after forty years of Independence. I want to remind you that my predecessor just now said about Dr. Ambedkar. He also mentioned the Constituent Assembly. As a Member of the Constituent Assembly, I have to say one thing very painfully. There would have been no reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. In the Constituent Assembly, National leaders, everybody including Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Pandit Govind Vallabh Pant and Lal Bahadur Shastri only wanted reservation. When this point was discussed, almost all were of the opinion not to keep any reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes on the ground that it will create reaction in the society. The British kept reservation policy for the Muslims only in order to create problem. So, it was opposed. Then Pandit Jawaharlal Nehru and Sardar Patel asked me to go to Bapuji. Bapuji knew me from childhood. I was only a student of Class 5 at that time in 1926. He said: "You are the same Basumatari who met me in Bongaigaon and who gave me 4-anna coin five times. He gave me a chit in which it was written, "Unless reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is conceded, I will take to fast". That is what happened. He raised the question of fast. So, I came back and gave that chit to Pandit Nehru. The Party meeting used to sit at 4 o'clock. Then he read out the chit and nobody could speak anything. The issue was decided.

What I want to say is that you cannot change the people by law. If the Ministers and the national leaders cannot improve the plight of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people. then we should not waste time in discussing this matter here. You cannot change the society. You cannot change it by law. You cannot do anything unless you change the hearts.

Vajpayeeji is a very senior Member. He knows how I took pains in Lok Sabha. Every time, when the subject came up, I had to speak shedding tears. I am not going into the details. When the question was raised as to how to develop the Scheduled Castes and the Schedueld Tribes, Mrs. Indira Gandhi, at our request, constituted a Parliamentary Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on 9th November, 1968, of which I was the founder Chairman. There we examined the rules and the terms of references to be dealt with by the Committee. When I visited first the Railway Headquarters at Bombay as Chairman with our Members, I found that not a single person had been appointed from the Scheduled Castes in the Railway Headquarters saying that there were no candidates at all. They said, how can we appoint Scheduled Castes and Scheduled Tribes when there are no candidates? When I went to Ahmedabad and examined the Railway Headquarters, they said the same thing. Then I had to take up the matter with Mrs. Indira Gandhi. Then I wanted her to write to them that any application from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also be sent to the Chairman of the Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They were sent. And when I went back to Bombay again and examined the Railway Headquarters and asked the General Manager to send somebody to find out whether the applications were there or not. he sent somebody and we found them tucked in the drawer of an officer concerned, on the spot, as instructed by the Prime Minister's office, they had to be appointed. When we went back to Ahmedabad, there also we found the applications from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

[Shri Dharanidhar Basumatari]

And on the spot they were given appointments. So, I tell you, Sir, unless the heart is changed, this cannot be done. Now, I don't know the name of the speaker who preceded me...

SHRI RAM AWADHESH SINGH (Bihar): He is Mr. Ram Naresh Yadav.

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: When he spoke I do not know whether he spoke from his heart or he spoke only to speak on the subject.

[**The Vice-Chairman (Dr. R. K. Poddar**) in the Chair.)]

SHRI RAM AWADHESH SINGH: He spoke from his heart.

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: Anyway, this is my pet subject...

SHRI RAM AWADHESH SINGH: As Chief Minister, he has done a lot in the State.

श्री राम नरेश यादव : मैंने जो बात कही है दिल से कही है। मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरे समय में सबसे पहले पूरे देश में हमारी ही स्टेट में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 25 और 30 फीसदी आरक्षण दिया गया और करके दिखाया।

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: *If I said something wrong,* I will withdraw. Then, Sir, I told Indiraji that unless you appoint a Tribal and a Scheduled Caste in every appointing authority, things cannot improve. To start with, she one Scheduled Tribe in the Union appointed one Scheduled Caste and Public Service Commission. And that has been followed by all the States wherever the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were there. And as Chairman of that Committee, I had to examine whether it was implemented or not. Then, my friend who has left now mentioned about the criminal tribes. What is a criminal tribe? Criminal tribes are those who revolted against the British. They were all in Army. When they revolted, they were termed by the British Government as criminal tribes. Then I had to say in Lok Sabha very harsh words. I had to tell the Prime Minister and the Home Minister Sardar Patel that I came to Parliament with an ambition to see that the word 'criminal' was not continued. I am criticising the national leaders from Uttar Pradesh, the State which has produced Prime Ministers for retaining the name 'criminal' when they have reservations for these Tribals.

4.00 P.M.

When I spoke very harshly, I was called by the Home Minister, Mr. Gobind Ballabh Pant and he, took me to the Prime Minister and he asked me, what do I want? I said, Sir, these criminal tribes are also freedom fighters. They have also fought against the British for Independence. They were also fighting against the British. Then a Committee was constituted and they wanted me to be the Chairman of this Committee. It was a committee of three men, called the Nomadic Tribes Inquiry Committee. There we found that there were more than three lakh such people throughout India. In U.P. alone there were more than one lakh people, whereas not a single Scheduled Tribe area has been declared in U.P. but afterwards on our demand some area has been declared as a Scheduled Tribe area.

Mr. Vice-Chairman, Sir, if you do not listen, I cannot speak because I am addressing you only.

So, that Committee has been constituted by Pandit Nehru, by the Home Minister, Shri Gobind Ballabh Pant and I was asked to be the Chairman but I was hardly 29 years old at that time. I refused to be the

Chairman and I asked somebody else to be appointed as Chairman. I got appointed one Mr. Louis, as Chairman, because he was a missionary and an Anglo-Indian and so he knew the tribals well. After that we found that there were more than three lakhs of such criminal tribes and I told them the other day that after 40 years of Indepenedence this word 'criminal' should not be used for the tribals who fought for the Independence in the same way as freedom fighters.

Now, Sir, coming to details, later on, one Scheduled Caste and one Scheduled Tribe person was appointed to the Union Public Service Commission and the same thing has been followed by the other States also. After that the appointments have been done by them too. Later on we demanded that this rule should be followed not only in the case of Public Service Commissions but everywhere which constitute the appointing authorities there should be one Scheduled Caste and one Scheduled Tribe person. And this rule has been followed under the leadership of Prime Minister Indiraji. Indiraji had a heart for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as her father, our great leader, Pandit Nehru had. Therefore, she did many things for Scheduled Castes and Scheduled Tribes development. Wherever we gave suggestions, they have been accepted. Now the preceding speakers mentioned about the integrated tribal development areas, this and that. It is done by Indiraji. But in spite of that we are still so backward. We are discussing about atrocities and atrocities are taking place when there is discrimination in the economic conditions. If you go to the tribal areas, you will find what a large disparity exists between the tribals and the non-tribals in their economic conditions. It is only in Assam that this disparity between tribals and non-tribals does not exist. In Assam, she knows, our Minister knows, that the Tribal of Assam is quite different from the tribal of other areas. Also in the case of Harijans there is no atrocity in Assam. There is no caste restriction in Assam. There is no discrimination in Assam. For your information I may tell you that in other areas I have found that there is not a single area in the whole of hills, which I did not visit during the last 43 years, where these atrocities and disparities do exist. I know what it means and how the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are being treated. An improvement can be brought about only when there is a change of heart. *(Time Bell rings)*. Please give me a little more time. Coming to the percentage of literacy, while it is 40 in general, in the case of Scheduled Castes it is only 14 and in the case of Scheduled Tribes it is only 8. See the plight despite giving all the grants and this and that and scholarships and still we are lagging behind far more compared to others. Similarly, in the case of employment, in spite of having reservation, the employment percentage in regard to scheduled castes is 2.49 and in regard to Scheduled Tribes 0.39. This is the plight. Where are we standing?

Now, there is a Commission for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Every year, it submits its report, but it is never discussed nor its recommendations implemented. The reports are submitted but they are not implemented. If its recommendations cannot be implemented, what is the use of appointing these commissions and such other committees? Unless you have a heart to develop them, unless they are brought up to a reasonable level, they will continue to remain undeveloped. We are competing with other countries in the world in many spheres. We are proud of our achievements under the leadership of Shri Rajiv Gandhi. We have been able to launch satellites and have achieved many other things. But in spite of our

[Shri Dharanidhar Basumatari]

advancement in other spheres, we still have to discuss atrocities on Harijans and tribals. And that is what pains me. I only appeal to the Members of the House to think of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people and see how their upliftment can be brought about. In my experience in Parliament, I have seen how Members speak on the question of Scheduled Castes and Scheduled Tribes but in action, we are not able to do anything to bring about a development of these people. We are not able to provide facilities that they need. We say we give reservations in various cadres for these people. We even give reservations in matters of promotion. But only some time back, there was a case filed in the High Court against reservation in promotions and it was turned down. Again, the Supreme Court also turned it down.... *(Time bell rings)*. Please allow me to speak. I don't know wherefrom you come. But you must allow me to say about atrocities being committed against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. After all, we are human beings. We discuss this subject everyday. We are also citizens of this free country. Why should we have to discuss this subject at all? It is because nothing is done towards their upliftment. I am sorry to have spoken this way. I do not doubt the intentions of the Government; I know the Minister and how the cause is dear to her heart. But I feel ashamed when we discuss the question of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House and at the same time we find that recommendations of various committees formed for this purpose, are not implemented It is a fact that we have been neglected by the society for ages and ages, and it will take time to undo the injustice. But that does not mean that such reports should not be implemented. But the reason behind it is the bureaucrat who is not sympathetic towards the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The bureaucrat is not sympathetic towards their cause and unless they are sympathetic, implementtaion of the various schemes in this regard cannot be ensured.

I hope the Minister will take note of the points raised by me.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, it is a tragedy of our national life that after 40 years of independence, we continue to discuss this problem of atrocities on Harijans and tribals when we claim to be implementing Gandhism, socialism and so many things but none of them is actually implemented. There is neither socialism nor Gandhiism here; otherwise these atrocities could not have been mounting up like this. In the absence of any note from the hon. Minister, the only thing on which I can base myself is the latest report, the Seventh Report, of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The report speaks volumes in regard to atrocities that are being committed year after year on the Scheduled Castes, the tribals and others. Up to 1984, figures have been given. Even the figures given in both Houses of Parliament for later years indicate that the crime is not coming down, but it is going up.

Sir, it is unfortunate to observe that in the sixties, the number of such crimes, such atrocities, was 5000 or so. In the seventies, it went up to 10,000. In the eighties, it increased to 15,000 and, in fact, in 1984, the figure crossed the 20,000 mark. This is the way things are moving in our country. Particularly, the ghastliest part of such crimes is the increasing number of murders and rapes. The percentage of murders and rapes is going up. In 1984, according to the figures that I have collected, there were 695 murders of Scheduled Castes and 979 murders of Scheduled Tribes.

In 1985, the number was 646 and 935 respectively. In 1986, it was 657 and 892. You should remember that these figures are not accurate. So far as the later years are concerned: 1985, 1986 and 1987; the figures relate to some States or some months only. Therefore, the number should be increasing; not going down, or declining. In 1988, we have seen not simply atrocities, but massacres.

Just now, hon. Members who spoke before me narrated certain things. How 19 Harijans were murdered in a village. How 25 people were raped in Bihar; I think, in Pararia. On February 18, 25 tribal women were gangraped by the police. These atrocities are being committed by the gangsters employed by the landlords as well as by the police. This is the most unfortunate part of it. The police who are expected to guard the honour of the citizens, specially, the women, have themselves been repeatedly commiting rapes. This is what is going on. In 1988, *incidents of such atrocities have taken* place at Ghatpur, Purnea, Jehanabad to which a reference has been made by my hon. friend here Pararia etc. I have already mentioned about the February 18 incident in which 25 tribal women were gangraped by the police. On 13th July, four tribals were hacked to death at Dhanbad. Therefore, these atrocities are going up like anything. What is the solution?

The latest and perhaps the ghastliest thing is from Tripura. It is unfortunate that in Tripura democracy was raped and murdered. The army was standing by when elections were held and it was seen to it that an unpopular government is brought in there. Murder of democracy has not ended there. Now it is the rape of tribals which has become a phenomenon. So rape of democracy has led to raping of tribals, that is the most unfortunate thing.

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: For your information, army was invited by the Chief Minister himself.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: I am entitled to hold my own opinion. You please bear with me. The point is that on 31st May, 1st and 2nd June continuously there have been rapes by Assam Rifles and 25 women including three teenagers were raped. This is testified by individuals, no less than our respected colleague Shrimati Kanak Mukherjee who was sitting by my side, unfortunately, she is not here now, Mrs Goswamy who is Lok Sabha Member of Parliament, ex-Lok Sabha Member Mrs. Ila Bhattarjee and some other respected and aged women like Bimbla Ranadive and Lakshmi Sehgal, who was once known as Captain Lakshmi when she was serving the INA. All these women went there, collected evidence from so many women who were actually the victims of these atrocities and this was reported to the Chief Minister himself. The Chief Minister would not bear this. He said, "These are all utter lies by tribal women." That is what he said. Unfortunately for him, by his own side was sitting the Agricultural Minister. Perhaps he belongs to Tujs party. He immediately commented that tribal women never tell lies. Some three cases came to his notice also and they are under enquiry. So, this was stated by the Agricultural Minister, his own Minister. So, these things are unabatedly going on. Not only that, Shri Dasrath Deb, who was the Deputy Chief Minister in the previous Government, he addressed a letter to the Chief Justice of India giving all these facts and appealing for judicial inquiry. A delegation of women also went there and said "When the matter is disputed by the Chief Minister himself, you please set up a judicial inquiry." This was the least he could do and he should have done it because the matter was disputed by the Chief Minister himself.

[Shri Moturu Hanumantha Rao]

Even now it is open for them to set up a judicial inquiry to unearth the truth. This is the thing that is happening and it is very unfortunate.

The crime on women in general and particularly on tribal women is increasing year by year. In Bihar Assembly itself on 11th January, 1988, a question was answered. In the first 11 months of 1987, 130 brides were burnt to death, 459 were raped and altogether 1697 atrocities were committed on women. These are the figures given in the Bihar Assembly.

So, Sir, the figures show how horrible the situation is. After 40 years of Independence, this is what we are enjoying. Almost 25 per cent of the population consists of scheduled castes and scheduled tribes. And it is not accidental. My Congress friends may object to many things that I have given expression to. But it is an unfortunate phenomenon and they must look back, they must critically examine themselves how it is happening in their own States. It is not I who have given the figures. They are here on page 22 of the Commission's Report itself:

"A review of the available atrocities data for the years 1982 to 1984 presents a somewhat disturbing trend. The overall number of cases of atrocities against the scheduled castes, though it declined from 15051 in 1982 to 14847 in 1983, recorded an increase to 16,586 in 1984. In 1984, the highest number of atrocities cases were reported from Madhya Pradesh-6128, followed by Uttar Pradesh-4200, Bihar-1845 and Rajasthan-1648. These States together with Tamil Nadu-489 and Gujarat-690 and Maharashtra-579, among themselves accounted for about 95 per cent of the total number of cases of atrocities reported during the year under review."

It is a clear verdict. We are accountable to people. What is the accountability here of the Congress (I) States? The number is far less in the non-Congress(I) States and almost nil in West Bengal. This conclusion can be drawn from the Report itself. So we can self-examine ourselves how things are going bad, particularly I say whether it is one, ten, hundred or thousand, a crime is a crime. I do not belittle the crime that has taken place in the non-Congress(I) States. There also they must seriously take note of it and rectify. But the point here is that whenever an atrocity is committed in a non-Congress(I) State, Ministers—one contingent after another—from the Centre go there in order to indict the State Govenment. It has happened in my State of Andhra Pradesh. Compared with other States, the number is less. But even if a few incidents take place, from the Centre Minister after Minister comes to indict the Government. Why don't they look back upon their own States, how it is happening there?

The point is—now I am coming to the point—that these things cannot be rectified, cannot be put an end to unless the basic structure is changed. It is, again, not myself who has said this, but the Commission itself has stated:

"Lack of education and ecnomic backwardness are exploited by the unscrupulous money-lenders, contractors and the land-owning upper castes. In the rural power structure, there is no let-up in the attempt on the part of influential land-owners belonging to the upper castes to continue with the age-old stronghold and hegemony over the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Commission, therefore, recommends that the State Governments and Union Territory administrations should take firm steps to remove the causative factors that lead to such atrocities."

This is stated by the Commission itself on page 24. The reservations are mentioned here, but reservations by themselves are not a panacea for

the solution of this problem. They have been there for the last forty years and where are they leading us to? Now, reservation is misused. Not only that, it is not being implemented also.

The hon. fiend has stated already how it is not implemented. The Government, Ministries themselves are not implementing it: scheduled banks are not implementing it; the public sector is not implementing it. So, like that these figures are already given here.

Untouchability also remains. So many districts of Bihar are mentioned and so many villages of Tamil Nadu are mentioned here in this regard. I am sorry to say that about South Africa we worry so much and we denounce the Botha Government so much. We hate Apartheid, but why don't we hate it here? Who is responsible for it? Why should it continue for 40 years after independence? You don't change the basic structure. You don't give land to the tiller; you don't give jobs to those people who are entited for such jobs. No jobs are there, but simple reservations are there. Reservations are cornered by the connered by a few. This is also mentioned by the Commission in its Commission in its report. So, it does not help the whole society and the whole community. They are there as untouchables. Scheduled Castes are thrown in hamlets like that. In South Africa separate colonies are set up for the Blacks and others. What are we doing here? They are existing in separate colonies and hamlets. Those hamlets are raided repeatedly by landlords and landlord Senas. Lorit Sena and Brahma Rishi Sena are functioning in Bihar. Who is allowing all these Senas to continue like that and bring torture to the whole community? So, these things are continuing like that. So, reservation is not a panacea. It should be implemented. But it is not an ultimate solution. The ultimate solution is found in the structural changes of our society and of the land system itself. That is not undertaken. That is the whole trouble. Who is responsible for all such things? There is no use in naming this party or that party. The entire country is like that. So, I would like to say that the basic structure is not changed, civil liberties are there, acts are there and so many things are there but Shankaracharya goes on talking nonsense and he is not brought to book by this Government. All these things are there before our eyes. We must see how things are to be bettered. We must self-examine ourselves. When we compare ourselves to South Africa, where are we? Will not other people look at us? Will they not point out to us? All these things are to be taken serious note of.

Before I conclude, I would like to say that by raking up the reservation issue and extending it further and further caste system is being per petuated. Now caste is introduced in a new form for the sake of reservation. Everybody is compelled to notify at the time of admission or appointment to which caste he is born. All these things will only harm our future. Instead of uniting the toiling masses of our country, toiling sections of our country who mostly come from Scheduled Castes|Scheduled Tribes along with other castes to fight against economic oppression you are raking up the reservation issue.

[**The Vice Chairman (Shri B. Satyanarayana Reddy)** in the Chair.]

The other thing is resorted to, that is, this caste or that caste. While making use of the reservation to the extent that it can protect the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the main point, the main drive should be to unite the toiling masses and see that the structural changes are brought about. And that way only the real solution could be found.

I am sorry to say that this Government is unfit to rule this country. I feel strongly about it. I also say

[Shri Moturu Hanumantha Rao]

that the Congress rulers whoever might be there, they are unfit to rule. If this is the situation that is continuing. Whoever comes in that place, they must also take serious lesson out of this and see that things are rectified. That is my humble opinion, Thank you, Sir.

श्री रामेश्वर ठाकुर (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हरिजनों एवं आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों एवं उनकी अन्य समस्याओं पर चर्चा चल रही है। इसका जो प्रारंभ किया गया है और बहुत से माननीय सदस्यों ने दोनों तरफ से अपने-अपने विचार इस संबंध में रखे हैं। यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है और हमारे देश के लिये बहुत ही चिन्ता का विषय है जो घटनायें आज देश के विभिन्न भागों में घट रही हैं या घटती हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इसका मूल कारण जातिवाद, वर्ण व्यवस्था तथा सरकार को इसके लिये जिम्मेदार बताया है। मैं समझता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय को इस तरह से टालना उचित नहीं होगा। हजारों वर्षों की गुलामी, गरीबी एवं शोषण के जो काल बीते हैं उसमें इस देश के लोगों खास तौर से जो गरीब लोग थे और उनमें से भी आदिवासी हरिजन थे उनका बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे धर्म और संस्कृति में इसका आधारभूत कारण नहीं है जैसा स्वयं हमारे एक बड़े माननीय नेता ने बताया कि वैदिक समय में इस तरह का भेदभाव नहीं था। यदि बीच के समय में खास तौर से जब देश पराधीन था ऐसी स्थिति आई तो हमें यह देखना है कि वास्तव में जिन ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं अन्य कारणों से हमारे हरिजन और आदिवासी लोगों को विशेष कष्ट सहना पड़ा है उनके लिये हमने क्या किया है। आजादी की लड़ाई में आप जानते हैं कि विभिन्न नेताओं ने खास तौर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी लड़ाई में समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लिया। खास तौर से हरिजन और आदिवासी बंधुओं को भी उन्होंने आगे रखा। उनको सम्मानीय स्थान उस लड़ाई में दिया और अपनी इस लड़ाई के दौरान जो उनकी व्यवस्था थी, कांग्रेस के जो 14 रचनात्मक कार्यक्रम उन्होंने बनाये उसमें हरिजनों और आदिवासियों को विशेष स्थान दिया। खादी और ग्रामोद्योग के जो काम चलाये उसमें उनकी यह मंशा थी कि इनके जरिये उनको हम केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दे सकते हैं बल्कि उनमें एक विकास और जागृति की भावना भी आयेगी। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्वयं स्थापना की, हरिजन पत्रिका को निकाला और आप सभी जानते हैं कि हरिजन और आदिवासियों के लिये उनके मन में कितना दर्द और भावना थी। इस तरह से अनेकों राष्ट्रीय नेता थे। संकल्प के रूप में कांग्रेस ने ऐसा माना सिद्धांततः ऐसा माना कि हमारे हरिजन और आदिवासी भाई समाज के अभिन्न अंग हैं। उनको उसी तरह का सामाजिक दर्जा तथा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और भी क्षेत्रों में समान विकास का अवसर मिलना चाहिये। हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद देश का संविधान बना और उस संविधान में इन वर्गों के लिये विशेष संरक्षण का और विकास का प्रावधान किया गया। उस संविधान के अन्तर्गत पिछले 40 वर्षों में विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो काम हुआ है वह हम सब जानते हैं। लेकिन समझता हूं कि इस ओर या उस ओर से किसी का इस तरह का कहना नहीं है कि यह काम इतना अधिक हो गया है कि अब समस्या नहीं रह गयी है। समस्या अभी भी विकट है, समस्या बड़ी है और इस पर बड़ी गहराई से बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के हम सब लोगों को सोचना है कि यह हमारे समाज का जो अभिन्न अंग है जिसके साथ आज जो गरीबी का उत्पीड़न है, अशिक्षा की समस्या है, शोषण है और इन पर जो समय-समय पर अत्याचार होते हैं इनके लिये सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीति की ओर से और सरकार की ओर से दृढ़ता के साथ किस तरह से तेजी से काम करें जिससे इन समस्याओं को कम से कम समय में अधिक से अधिक या पूर्ण रूप से हल कर सकें। इस समस्या के मैं समझता हूं कि कई पहलू हैं। लेकिन खास तौर से आप देखेंगे कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनमें विभिन्न प्रकार के साधन उप

लब्ध कराये गये और योजनाएं बनायी गयी कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं और खासतौर से हरिजन और आदिवासी हैं इनका कैसे विकास किया जाये। स्वयं पंडित जी के जमाने से प्रथम पंचवर्षीय योजना से इस तरह के कई प्रावधान किये गये। खास तौर से इंदिरा जी के जमाने में इस गरीब वर्गों के लिए हरिजनों और अल्पसंख्यकों के लिए आदिवासियों के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए तथा सामान्य तौर पर जो गरीब वर्ग के लोग देहातों में रहते हैं उनके लिए कई बड़े-बड़े कार्यक्रम आये। इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण 20 सूत्री कार्यक्रम आया।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में बिना भेदभाव के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और वह हमारी योजना का एक अभिन्न अंग बन गया है। कई राज्यों में बहुत अच्छे काम हुए हैं, कई राज्यों में सामान्य हुए हैं और कई में जितना होना चाहिए उससे बहुत कम हुआ है। इसलिए हमें यह देखना है कि जो कार्यक्रम बनाए गए, जो प्रावधान किए गए उसके अंतर्गत उपलब्धियां ठीक से हुई या नहीं और उनके क्या कारण हैं वह उपलब्धियां तेजी से कैसे हो सकती हैं जो हमारी व्यवस्था में त्रुटियां हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं इस पर चिंतन की जरूरत है और एक मत से विचार करने की आवश्यकता है। संसद में भी इसकी बड़े ऊंचे पैमाने पर चर्चा हुई है और लोगों ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं और कुछ लोगों ने ऐसी भी आलोचनाएं की हैं जिनको मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से की गई हैं। किसी पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं जिन राज्यों में कांग्रेस राज नहीं है और वहां दूसरी पार्टी का प्रशासन है वहां भी जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हो पाया है। इसलिए हम इस मूल समस्या को किसी राजनीतिक दृष्टि से देखें या दोषारोपण करें तो यह बहुत ही अनुचित होगा। हम समझते हैं यह उनके साथ अन्याय होगा। यह खास तौर से अभी जो सप्तम पंचवर्षीय योजना चल रही है इस योजना के प्रारम्भ में ही खास तौर से प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने इस पर बहुत ध्यान दिया है कि जो सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और हरिजन हैं उनको अधिक से अधिक सुविधा दी जाए। वे स्वयं भी इन सुदूर क्षेत्रों में गए हैं और उन्होंने उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है और बिना भेदभाव के विभिन्न राज्यों के प्रशासनों लोगों और राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मैं ऐसा समझता हूं कि इसके अंतर्गत जो योजनाएं अभी चालू हैं उन पर थोड़ा विचार होना जरूरी है कि यह सरकार इस समय क्या कर रही है और उसमें क्या सुधार के समाधन हैं और हो सकते हैं और केवल हम सामान्य तौर से यह कह दें कि कुछ नहीं हो रहा है तो यह भी ठीक नहीं होगा। जो काम हो रहा है वह और अच्छी तरह से हो। जितने साधन दिए गए हैं उनका ठीक ढंग से प्रयोग हो। यदि वह साधन कम हैं तो उस कार्य के लिए अधिक प्रावधान किया जाए और जो साधन दिए जाते हैं उसका संचालन ठीक से हो और वह हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए खर्च किया जाए और तीव्रता से काम हो। लोग यह समझें कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है और उसे उसी प्रकार से करें। मैं ऐसा मानता हूं कि यह केवल सरकार के ऊपर ही नहीं है बल्कि लोगों का भी दायित्व है कि वे इस काम को करने में सहयोग दें। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो यह बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है और हम जो लोग हैं हमारा भी दायित्व है कि हम इस समस्या के समाधान में अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करें और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपना-अपना योगदान दें। लोगों में जागृति पैदा करें और उनके लिए जो प्रावधान किए गए हैं राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की ओर से उनका सही-सही उपयोग हो रहा है या नहीं इस तरफ भी हम ध्यान दें।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस समय आकर्षित करना चाहूंगा, जो

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

चालू योजनाएं हैं, उनके लिए कुछ स्पष्टीकरण और सुझाव देना चाहूंगा वह यह है कि सबसे पहला काम जिसकी तरफ कुछ अन्य सदस्यों ने ध्यान दिया कि यह निर्भर करेगा कि हम कितनी तेजी से हरिजनों और आदिवासियों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार का काम कर सकते हैं। जब तक वे शिक्षित नहीं होंगे तब तक उनकी समस्याओं का समाधान ऊपर से केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं किया जा सकता है और केवल सद्भावना से ही नहीं हो सकता है। हम समझते हैं कि उनके शिक्षण के लिए जो व्यवस्था की गई है वह यथेष्ठ नहीं है। इसमें खासतौर से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा यह जो शैडयूल्ड कास्ट्स के लिए जो पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप है उनके संबंध में है कि यह 42 करोड़ रुपये का 1988-89 के लिए प्रावधान किया गया है, इसके पहले वर्ष में 26.73 करोड़ रुपया था और इसमें शत-प्रतिशत रुपया केन्द्रीय सरकार दे रही है। मैं समझता हूं कि हमारे जैसे बड़े देश में जहां कि इतने बड़े आदिवासी क्षेत्र हैं उनके लिए यह प्रावधान पर्याप्त नही है। मैं जानना चाहूंगा कि इस रुपये से कितने छात्रों को सुविधा प्रदान की गई है और कितने छात्र उत्तीर्ण हो करके आगे की पढाई में गए या कार्यरत हुए? मैं समझता हूं कि इस राशि को और ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि अधिक छात्र, जो मैट्रिक से ऊपर पढ़ना चाहते है, कालेज में जाना चाहते हैं या टेक्नीकल प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनको सुविधा मिलेगी।

दूसरी बात, प्री-मैट्रिक स्कोलरशिप का है, इसमें बताया गया है कि इसमें 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार देती है और 50 प्रतिशत राज्य सरकार देती है, जो बच्चे छठी श्रेणी से आठवो श्रेणी तक पढ़ते हैं उनको 200/- रुपया प्रति मास दिया जाता है और जो नवीं और दसवी श्रेणी में हैं, उनको 250/- रुपया दिया जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि इससे कितने छात्र लाभान्वित होते हैं? इसमें यह जो छात्रवृत्ति दी जाती है, इसमें कहा गया है कि तीसरी से पांचवीं श्रेणी तक के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाये, यह विचाराधीन है। मैं इस संबंध में मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि इस पर अभी तक विचार हुआ कि नही? साथ ही यह भी कहूंगा कि इसमें तीसरी और पांचवीं श्रेणी के छात्र ही सम्मिलित किए गए हैं, इसके अलावा पहली, दूसरी श्रेणी के बच्चों का क्या होगा? अब यदि पहली, दूसरी श्रेणी में बच्चे नहीं आएंगे हरिजन और आदिवासियों के तो वह तीसरी, चौथी, पांचवीं, आठवीं या मैट्रिक में कैसे जाएंगे? इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस योजना को प्रारम्भ से ही यानी पहली श्रेणी से ही प्रारम्भ किया जाय तभी इसका लाभ होगा और इसमें जो आर्थिक सहायता दी जाये, उसको देखा जाये कि किस तरह के लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

इसमें एक बात और है कि यह सीमा बांध दी गई है कि जिस परिवार की आमदनी एक हजार रुपये से कम है उनको ही दिया जाये। मैं समझता हूं कि यह सीमा बहुत ही कम है क्योंकि यह परिवार की आमदनी की सीमा की बात है, इसलिए कम से कम इसको पन्द्रह सौ रुपए किया जाना चाहिए अगर दो हजार कर दें तो और अच्छा होगा। जो अभी यह सीमा है, आज की कोस्ट आफ लिविंग के हिसाब से यह बहुत ही कम और अव्यावहारिक है। इसको बढ़ाना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में 2 करोड़ रुपए केवल रखे गए। अब इससे सारे देश में कितने छात्र पढ़ सकेंगे और कितने लाभ उठाएंगे। यह भी मुझे लगता है कि बहुत कम राशि है, इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

तीसरी बात किताबों के विषय में है। इसके लिए एक बुक बैंक बनाने की बात है, इसमें फिर से 50:50 प्रतिशत की बात आती है। हम समझते हैं कि ऐसे कार्यों के लिए केन्द्र सरकार को विचार

करना चाहिए । राज्य-सरकार अगर दें सकें तो देना चाहिए, लेकिन होता यह है कि बहुत सी राज्य सरकार ऐसी हैं, जिन्होंने 50 प्रतिशत की राशि नहीं दी तो केन्द्र सरकार का 50 परसेंट भी उनको नहीं मिलता । मैं समझता हूं कि इस तरह से, जैसे कि पहले दिया हुआ है कि पोस्ट-मैट्रिक स्कोलरशिप हण्डरेड परसेंट देते है, उसी तरह इनको भी आप शत-प्रतिशत कर दें तो इससे ज्यादा काम होगा, नहीं तो यह जो हम निर्धारित कर देते हैं कि राज्य सरकार दें उससे काम नही होता है ।

इसमें यह जो दिया है कि कोस्टिग पर पांच हजार रुपए तक किताबों का ग्रुप बनाया जाये तीन छात्रों का, तो इसमें केवल 46 लाख रुपया वर्ष 1986-87 में सेंकसन हुआ था और यह भी बताया गया है कि इसमें 19,631 शेडयूल्ड-कास्टस् और शेडयूल्ड-ट्राइव्ज के लड़कों को लाभ हुआ । वर्ष 1987-88 के लिए 55 लाख रुपए दिए गए हैं, मैं समझता हूं कि किताबें जिस तरह से महंगी हो गई है, यह राशि बहुत कम है । कम किताबों से हरिजन-आदिवासी छात्र अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे और आप देखिए किताबों पर कितनी कीमत लगती है । इसलिए आप इस सीमा को बढ़ाइए और उनको जितनी भी किताबों की आवश्यकता है, जिस श्रेणी के लिए भी, उतनी किताबें मुफ्त मुहैया कराइए, तभी छात्र पढ़ सकेंगे । एक सीमा बांध कर हम कहें, उनको जनरल रेफरेन्स बुक न दी जाये, लेकिन जो प्रेसक्राइब्ड बुक्स हैं, वह तो उनको जरूर देनी चाहिए, नहीं तो कैसे पढ़ पाएंगे वह कहां से खरीद कर लाएंगे, जबकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है ।

महोदय, लड़कियों के लिए जो छात्रावास बनाए गए हैं यह तीसरी योजना से शुरू हुए हैं इसमें कई जगह अच्छे छात्रावास बने हैं इसमें जो सीमा अभी खर्चे की बांधी गई है वह भी बहुत कम मुझे लगती है । मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि इस सीमा को भी बढ़ाया जाये । इसके अंतर्गत जो पूरी सहायता दी गई है और जो होस्टल बनाए गए हैं, मैं समझता हूं, उनकी संख्या 143 होस्टल है सारे देश में कन्याओं के लिए आदिवासी-हरिजन कन्याओं के लिए मैं समझता हू कि यह संख्या बहुत ही कम है और इसके लिए 3.15 करोड़ का जो प्रावधान है, यह भी बहुत कम है। इसलिए इसको बढ़ाया जाये । यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम हरिजन महिलाओं को पढ़ाएंगे तो वे सुशिक्षित होंगी, काम करेंगी और यह बड़ा बुनियादी काम होगा । इसलिए महिलाओं के शिक्षण के लिए अधिक-से-अधिक होस्टल बनाए जाए महोदय, पांचवीं योजना में कोचिंग की स्कीम है । इसमें यह है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स की जो पोस्ट्स राज्य सरकार और उसके अंतर्गत हैं, उनमें इंटरव्यू के पहले उनके लिए प्रावधान किया गया है कि उनका कुछ शिक्षण हो । यह एक बहुत ही अच्छी योजना है क्योंकि हम यह नहीं चाहते हैं कि केवल उनको काम मिल जाये बल्कि हम यह चाहते है कि वे योग्यतापूर्वक, सम्मानपूर्वक अपने काम को सम्पादित कर सकें मेरिट पर परीक्षा पास कर सकें । इसलिए परीक्षा के पूर्व यह जो इस तरह के कोचिंग की व्यवस्था है यह बहुत अच्छी है । अभी राऊज आई० ए० एस० स्टडी और एस० एन० दास गुप्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं । मैं जानना चाहूंगा कि इसमें कितने छात्रों ने लाभ उठाया है क्योंकि अभी भी जितनी सुरक्षित जगह हैं, उतने कैंडिडेट्स नहीं मिलते है और कह दिया जाता है कि नही आए तो कैसे देंगे । योग्यता की कमी है मैं समझता हूं कि इस योजना के अंतर्गत यह जो उनके लिए आरक्षण किया गया है उसकी पूर्ति करके उनकी योग्यता में वृद्धि कर सकते हैं और वह अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं इसलिए इसको बढ़ाया जाये ।

महोदय, दूसरी बात यह है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वह इस क्षेत्र में ज्यादा काम कर सकती हैं और कर भी रही हैं । अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे और मिशन का उन्होंने नाम लिया

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

जाति-धर्म की कोई बात नहीं है। "धर्मनिरपेक्षता" हमारी मान्यता है। धर्मनिरपेक्ष होकर जो भी संस्थाएं हरिजन-आदिवासियों के बीच में अधिक से अधिक काम करना चाहें, हमें उन को प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको सुविधाएं देनी चाहिए क्योंकि वे समाज के बीच में रहती हैं स्थानीय होती हैं। उसमें केवल सरकारी कायदे-कानून की बात नहीं है। वह एक भावना के साथ उनके बीच में जाकर काम करें, यह अच्छी बात है। इसमें केवल 80 लाख रुपया 86–87 में खर्च हुआ है। वर्ष 1987–88 में एक करोड़ का प्रावधान है। यह एक करोड़ रुपया सारे देश में दिया जायेगा ऐसे वायलेंटरी आर्गनायजेशंस को जो कि हरिजनों की सेवा करें। मैं समझता हूं कि यह राशि बहुत ही नगण्य है। मैं चाहूंगा कि जो योग्य संस्थाएं हैं, उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और जो अच्छा काम करती है उनको बढ़ावा दिया जाये। महोदय अभी आलोचना की गयी कि सरकारी अफसर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना कि उन्हें देना चाहिए। सरकारी क्षेत्र का काम सरकारी अफसर अच्छी तरह करें और वायलेंटरी आर्गनायजेशंस का सहयोग भी हमें लेना चाहिए। हमें उन्हें अधिक बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें इसके लिए आर्थिक सहायता देना उचित होगा। यह जो पी० सी० आर० एक्ट की बात कही गयी है। इसमें जो हमारे हरिजन हैं, जो सफाई का काम करते हैं, इनके काम की बात इसमें की गयी है कि 1986–87 में आठ, साढ़े आठ करोड़ रुपया उनको दिया गया। मैं समझता हूं कि यह जो भंगी मुक्ति का काम है, यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय काम है। इसके लिए जितनी राशि लगे खर्च की जानी चाहिए। यह सिर पर मैला ढोने की जो प्रथा है यह हमारे माथे पर कलंक है। हमें हर शहर को भंगी मुक्त करना होगा। इस ओर माननीय मंत्रीजी को ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे हरिजन भाई सिर पर मैला रखकर ले जाते हैं उन्हें हम दूसरे काम दे सकें और इसमें जितनी भी राशि लगे, उनके रिहैबिलिटेशन में जितनी राशि लगे वह खर्च की जाए।

महोदय यह जो शेड्यूल्ड कास्ट डवलपमेंट कार्पोरेशंस बने हैं यह कारपोरेशन बहुत ही अच्छे विचार से बना है। आर्थिक सुविधा देने के लिए, जो हमारे हरिजन-आदिवासी हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी सुविधा के लिए आर्थिक योजनाएं बनाकर दी जाए कि वे, अपने पैरों पर खड़े हों, आर्थिक दृष्टि से जुड़े हों। यह मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम है 18 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरियों में। मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदया से कि अन्य राज्यों का क्या हुआ बाकी राज्यों में कब तक कार्पोरेशन बन जाएंगे और जिन राज्यों में बने है उनमें केवल अभी तक आपने 1987–88 में 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 1988–89 के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही कम है। 18 राज्यों में 10 करोड़ रुपए–यानि एक कारपोरेशन को 50 लाख रुपए से भी कम मिलेगा कोई योजना होगी 5 हजार, 10 हजार की कोई योजना होगी 15 हजार, 25 हजार की, तो इस तरह से कितने लोगों को सहायता देंगे। आर्थिक विकास के लिए स धन बने हैं यदि वह यथेष्ठ साधन नहीं होगा तो काम नहीं होगा और रुपए की बर्बादी होगी। इसलिए नितान्त आवश्यक है कि इसके लिए अधिक से अधिक राशि का प्रावधान किया जाए और जो सबसे पहले Central Special assistance to special component plants...
जिसकी कि शुरुआत की गई है और विभिन्न राज्यों में इसका काम अच्छी तरह चल रहा है लेकिन कई जगहों में काम ठीक से नहीं चल रहा है यह 50 परसेंट बेसिज पर है और इसमें 4 सेक्टर में, खासतौर से जो हमारे पशुपालन का काम है, कृषि का काम है और ग्रामोद्योग का काम है, इन क्षेत्रों में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा हरिजनों और आदिवासियों को रोजगार

मिलेगा, वे स्वावलंबी बनेंगे अपने पैर पर खड़े होंगे । इसलिए जरूरी यह है कि केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि प्रशिक्षण की अधिक से अधिक व्यवस्था की जाए जिससे कि ये बच्चे प्रशिक्षण लेकर के और आर्थिक सहायता पाकर के अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी) : आप कितना समय लेंगे । और कितना समय लेंगे ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : अभी खत्म कर देता हूं । शेडयूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लड़कों के लिए होस्टल का कितना प्रावधान है ? लड़कियों के लिए तो है लेकिन लड़कों के लिए नहीं होगा तो कैसे चलेगा यह नितान्त आवश्यक है कि लड़कों के लिए भी होस्टल होना चाहिए । इस संबंध में मैंने सुना है कि यह योजना खासतौर से आन्ध्र प्रदेश, आसाम बिहार, हरियाणा जम्मू-काश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ये होस्टल बहुत कम है, नगण्य हैं । इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है ? The State Government bear the cost of hostels.

ऐसा कहा है । तो कम से कम लागत खर्च केन्द्रीय सरकार देकर उसको बना दें । इस संबंध में क्या प्रगति हुई है । हमें बताया गया कि 1988-89 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । अब बताइए कि इतने प्रान्तों में होस्टल बनाएंगे लड़कों के लिए तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान, मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है । इस संबंध में अगले साल से पहले भी गुन्जाइश हो तो उसको बढ़ाएंगे और अगले साल इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है . . . (समय की घंटी) . . . ।

अंत में कहना चाहूंगा कि ट्राइबल सब प्लान, में ट्राइबल प्लान का बहुत बड़ा अंग है इसमें कई राज्यों में जैसे बिहार में ट्राइबल सबप्लान में 40 परसेंट जो योजना की राशि थी वह ट्राइबल प्लान में दी गई और उसके लिए बहुत कहा है कि 17 राज्यों में और 2 यूनियन टैरिटरियों में इस तरह के ट्राइबल सबप्लान चलाए जा रहे हैं और इसमें 184 उसके आपरेशनल उसके कार्यक्षेत्र बनाए गए हैं जो 47 कलेक्टर वहां काम कर रहे है वहां उसमें अधिक से अधिक लोगों को सहायता करें लेकिन इतनी राशि लगाने के बावजूद भी, संथाल ट्राइबल बैंक को मैं जानता हूं, वहां उस क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा है । इसलिए नितान्त आवश्यक है कि हमें जो साधन दिए जाते हैं और उसमें जो लास्ट में वह रुपया देते हैं, वह रुपया सरकार को वापिस आ जाता है कई बार । वहां के जो अधिकारी हैं उनका दायित्व है और जो सामाजिक और राजनैतिक कर्तव्य है कि ट्राइबल प्लान में जो 40 परसेंट दिया जाता है वह खासतौर से उनकी सुविधा के लिए, उनकी पूर्ति के लिए, उनके ठीक तरह संचालन के लिए उन्हें मिले और जो ट्राइबल भी हैं, कार्यकर्ता हैं उनका भी उससे लाभान्वित हो सकें यह नितान्त आवश्यक है । मैं ऐसी संस्थाओं को जानता हूं जिन्होंने सैकड़ों कुएं बनाए हैं और कुछ तालाब और सिंचाई के साधन आदिवासियों को दिए हैं ।

5.00 P.M.

हमारी आजादी के बाद वहां आबादी घट रही है । उन पहाड़ियों की स्थिति बहुत खराब है इसलिए उनके लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए । उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके पेयजल के लिए, उनके रहने के लिए, उनके शिक्षण के लिए और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने अभी तक काम किया है उसकी मैं सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि जो समस्या हमारे सामने है बहुत कठिन समस्या है उन्हें अधिक से अधिक साधन देने की आवश्यकता है जिससे निष्ठापूर्वक वे हरिजन आदिवासी लोग लाभान्वित हो सकें । वे प्रतिष्ठा के साथ समाज में आगे बढ़ सके और समाज के विकास के लिए देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए शान से काम कर सकें मर्यादापूर्वक इसकी हम सामना करते हैं